रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 2

PART II—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 1973/चैत्र 5, 1895

No. 17] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 1973/CHAITRA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA

The following Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the constitution of a Central Council of Homoeopathy and the maintenance of a Central Register of Homoeopathy and for matters connected therewith, was presented to the Rajya Sabha on Monday, 26th March, 1973:—

COMPOSITION OF THE JOINT COMMITTEE

1. Shrimati Purabi Mukhopadhayay—*Chairman*

Members

RAJYA SABHA

2. Shri Sasankasekhar Sanyal
3. Shri Bhupinder Singh
4. Shri N. G. Goray
5. Dr. K. Nagappa Alva
6. Dr. Debiprasad Chattopadhyaya
7. Shri Sitaram Kesri
8. Shri Man Singh Varma
9. Shri T. K. Srinivasan

10. Shri K. C. Panda
11. Shri Manubhai Shah
12. Shri Sultan Singh
13. Shri N. P. Chaudhari
14. Shri T. G. Deshmukh
15. Shrimati Savita Behen

LOK SABHA

16. Shri Ziaur Rahman Ansari
17. Shri Vidya Dhar Bajpai
18. Shri Kushok Bakula
19. Shri Muhammed Khuda Bukhsh
20. Shri A. M. Chellachemi
21. Shri Bhaoosahaib Dhamankar
22. Shri Hiralal Doda
23. Shri Nageshwar Dwivedi
24. Shri Pampan Gowda
25. Shri Madhuryya Haldar
26. Shri Chiranjib Jha
27. Shri Popatlal M. Joshi
28. Shri Ramachandran Kadannappalli
29. Shri B. R. Kavade
30. Shri T. S. Lakshmanan
31. Shri Mallikarjun
32. Shri Prasannbhai Mehta
33. Shri N. Sreekantan Nair
34. Dr. Laxminarayan Pandeya
35. Shri Janaki Ballav Patnaik
36. Shri S. L. Peje
37. Maulana Ishaque Sambhali
38. Shri M. Satyanarayan Rao
39. Shri Umed Singh Rathia
40. Shri K. Ramakrishna Reddy
41. Dr. Sankata Prasad
42. Shri Awdhesh Chandra Singh
43. Shri Ram Deo Singh
44. Shri Rana Bahadur Singh
45. Shri A. K. Kisku

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRIES

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

Shri P. L Gupta, Additional Legislative Counsel

Shrimati V. S. Rama Devi, Deputy Legislative Counsel

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

Dr. Jugal Kishore, Adviser in Homoeopathy
Shri P. V. Hariharsankaran, Deputy Secretary
Dr. D. P. Rastogi, Senior Research Officer.

SECRETARIAT

Shri M. S. Panigrahi, Deputy Secretary
Shri M. K. Jain, Under Secretary

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

I, the Chairman of the Joint Committee to which the Bill* to provide for the constitution of a Central Council of Homoeopathy and the maintenance of a Central Register of Homoeopathy, was referred, having been authorised to submit the report on their behalf, present this their Report, with the Bill, as amended by the Committee, annexed thereto.

2. The Bill was introduced in the Rajya Sabha on the 1st December, 1971. The motion for reference of the Bill to a Joint Committee of the Houses was moved by Shri Jagdish Prasad Mathur on the 3rd April, 1972, and was adopted by the House on the same day.

3. The Lok Sabha discussed and concurred in the motion on the 24th May, 1972.

4. The message from the Lok Sabha was reported to the Rajya Sabha on the 25th May, 1972.

5. The Committee held 26 sittings in all. Of these, five sittings were held at Calcutta (25th to 29th September, 1972), five sittings at Bombay (3rd to 7th October, 1972), and four sittings at Trivandrum (28th, 30th and 31st October, and the 1st November 1972), with the permission of the Chairman, Rajya Sabha, to hear oral evidence from witnesses. The Committee also took the opportunity of visiting some Homoeopathic Colleges and Hospitals at these places. The rest of the sittings were held in the Parliament House.

6. At their first sitting held on the 3rd June, 1972, the Committee decided that a Press Communique be issued inviting Memoranda on the Bill from individuals, associations and organisations interested in the subject-matter of the Bill by the 10th July, 1972. The Chairman also requested the members to suggest names of persons who might be invited for giving oral evidence before the Committee.

7. To facilitate the work of the Committee, five different questionnaires were issued to Private Homoeopathic Medical Practitioners, Professional Associations, Homoeopathic Institutions, State Homoeopathic Boards/Councils and the State Governments to elicit replies to the specific points contained in those questionnaires.*

8. One hundred memoranda containing views, comments and suggestions and replies to questionnaires from two hundred and forty-eight individuals, professional associations, institutions, State Board and Comcils, and State Governments on the various provisions of the Bill were received by the Committee.

9. The Committee heard evidence tendered by one hundred and two witnesses.

10. The Committee decided that the evidence tendered before it should be laid on the Table of the Houses.

11. The Committee considered and adopted the Draft Report at its sitting held on the 8th March 1973.

*Published in Part-II, Section 2 of the Gazette of India Extraordinary dated, the 1st December, 1971.

12. The principal charges effected by the Committee in the Bill and the reasons therefor are set out in the succeeding paragraphs.

Clause 2

The Committee feels that it is not strictly necessary for the purpose of identification of the Homoeopathic system of medicine to mention the name of its founder in the definition of 'Homoeopathy'.

The Committee is also of the opinion that even though the Homoeopathic system of medicine includes the use of Biochemic remedies it is better to include the use of Biochemic remedies in the definition of 'Homoeopathy' to make the position clear.

The Committee has, therefore, received the definition in paragraph (d) of sub-clause (1) accordingly.

Clause 3

The clause, *inter alia,* provides for election of a member by the members of the Homoeopathy faculty or department of each University for representing academic interest on the Central Council. The Committee understands that at present there is only one University in the country which has a Homoeopathic faculty and the Committee feels that till such time as some other universities start Homoeopathic faculties or departments, the representation of academic interest on the Central Council will be neglible. In order, therefore, to provide adequate representation of such interest, the Committee feels that so long as seven universities do not start Homoeopathic faculties or departments, the membership falling short of that number should be made good by nomination of members by the Central Government from amongst the teaching staff of the medical institutions within India. The Committee has accordingly, added a proviso to paragraph (b) of sub-clause (1).

The Committee is also of the view it is necessary to give greater representation on the Central Council to persons who have special knowledge or practical experience in respect of Homoeopathy or other related disciplines. The Committee has, therefore, enhanced representation of such persons from thirty per cent. to forty per cent. of the elected members of the Council.

The other change in the clause is of a clarifying nature.

Clause 7

The Committee notes that in bodies like the Central Council same persons continue to hold office for a number of terms. The Committee considers that if there is no bar on the same persons continuing in office in the Central Council for unspecified terms, the Council may not be able to function effectively. The Committee has, therefore, amended the clause to provide that persons holding offices of the President and Vice-President are not eligible to hold such offices beyond two consecutive terms.

Clause 10

The Committee is of the opinion that Committees to be constituted by the Central Council should meet more often for the proper growth and development of the system and has amended the clause to provide that these Committees hold at least two meetings in each year.

Clause 11

The Committee feels that it would not be a healthy practice for the Registrar of the Central Council to act as the Treasurer also. The clause has been amended suitably.

Clause 14

The Committee considered the question of protecting the right of practice of those persons who possess degrees, diplomas or licences in Homoeopathy granted by institutions outside India. While clause 2(1) (e) defines the expression "medical institution" to mean any institution *within* or *without India* which grants degrees, diplomas or licences in Homoeopathy, no provision has been made in clause 14 for the recognition of any medical qualification granted by a medical institution outside India. In this connection, the Committee further notes that the Second Schedule also does not enumerate any such medical qualification. The Committee feels that this gap should be filled up by according recognition to certain medical qualifications granted by medical institutions of standing outside India and for that purpose a separate Schedule, namely, the Third Schedule, should be added. The Committee has, therefore, modified the clause suitably and has also added a new Third Schedule to achieve this objective.

Clauses 21 *and* 26

The Committee notes that there is no provision in the existing clause 21 for enrolment on the Central Register of Homoeopathy of persons, who do not possess any of the medical qualifications recognised under the Bill, although they are enrolled on a State Register of Homoeopathy. Having regard to the contribution made by most of them for the cause of Homoeopathy, the Committee feels that they should not be totally debarred from practising in any State of their choosing. The Committee has, therefore, amended clauses 21 and 26 to provide for—

(i) the maintenance of the Central Register in two parts—Part I to contain the names of all persons, who are for the time being enrolled on any State Register and possess any of the recognised medical qualifications and Part II to contain the names of all persons, other than those included in Part I, who are for the time being enrolled on any State Register of Homoeopathy; and

(ii) the entitlement of persons enrolled on Part II of the Central Register to practise Homoeopathy in any State with the previous approval of the Government of the State where they intend to practise.

Clause 33

The Committee feels that the qualifications of the Inspectors and Visitors to be appointed under the Act should be specified in the regulations to be framed under this clause and has amended paragraph (h) to that effect.

The Second Schedule

The Committee has added the Diplomas in Homoeopathic Medicine and Surgery granted by the Board of Indian Medicine, Hyderabad and the Orissa Board of Homoeopathic Medicine, Bhubaneswar to make the Schedule up-to-date.

The Third Schedule

The Committee has added this new Schedule, which contains particulars of the degrees, diplomas and licences in Homoeopathy granted by universities outside India and which are proposed to be recognised under the Act.

13. The other changes made in the Bill are of a consequential and drafting nature.

14. For convenience and also for reference purposes, an Annexure* detailing the clauses in the Bill as introduced in the Rajya Sabha which have now been amended by the Joint Committee has been added.

15. The Committee recommends that the Bill, as amended, be passed.

NEW DELHI;
March 8, 1973.

PURABI MUKHOPADHYAY,
Chairman of the Joint Committee.

*Not attached.

MINUTES OF DISSENT

I

The Bill, at the inception, was just a concept of control through a pyramidical council. But from the very beginning the Joint Select Committee reflected unmistakable trends for enlarging the scope of the Bill into various progressive dimensions. The Chairman was readily encouraging; and the Minister did not hesitate to respond.

The Committee had a very profitable tour in course of which, as also in Delhi itself, a wide range of possibilities for improvement were explored and a good many cross sections of Homoeopathic Practitioners of vicarious talent and experience were examined.

It was a lesson to see how numerous Homoeopathy Institutions grow up in farflung areas of our great country as natural produce of the soil, aided, unaided and half-aided by Government. Pity indeed that they are not looked at or looked after on par with the traditional Allopathy! Gratifying and educative it has been to see that, by and large, the Homoeopath does not consider himself as a mutually exclusive rival to worshippers of other persuasions; but as a complementary entity, even though competitive.

We were simple amazed to find that hunger for Homoeopath treatment was mounting all over the country.

This is because the Homoeopath treats the patient as such, and not merely his or her pathology.

It is disappointing, however, that despite concern of the Government and the ebullient expectation of the people we are nowhere near the goal.

National Health Scheme is yet a far and distant cry. Allopathic hospitals extended bed to a very very limited per cent of our patients.

In village areas 90 per cent of our fellow beings are sufferers from this or that chronic trouble. But they would neither leave their means of livelihood or even a search for it—nor would they be hospitalised. The pathological examinations cannot be had in their villages and for them to go to the town and get their blood, urine etc. examined in outdoor of a hospital or in a private clinic would be expecting something which cannot materialise.

Next to national health scheme, therefore, is to reach Homoeopathy Mobile Units to walk from village to village, so that our toiling people who cannot afford to lie in bed with their chronic troubles can continue their life and living undisturbed while at the same time can get the benefit of a regular treatment through these mobile units.

The third eye and sixth sense of a real Homoeopath will, in course of a five years trial, as suggested above, will succeed in making our villages less depressed in body and mind, more encouraging as man-power and more useful as rational citizens.

In order to produce the required talents of a Homoeopath in this behalf their educational curriculum must include besides, Chemistry, Anatomy etc. a complete course of psychology and psychiatry.

SASANKASEKHAR SANYAL,
MADHURYYA HALDAR,
ISHAQ SAMBHALI.

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के आधारिक सिद्धान्तों में तथा होम्योपैथी के मूल सिद्धान्तों में भिन्नता होने के कारण होम्योपैथी के लिए पृथक केन्द्रीय परिषद् की आवश्यकता को अनुभव करते हुए तथा उसके सुविकास के साथ उसे अधिक प्रभावी, जनोययोगी व सुसंगत बनाने की दृष्टि से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक 1971 संसद् के समक्ष आया जिसे संसद् के दोनों सदनों को संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा गया ।

संयुक्त प्रवर समिति ने विभिन्न स्थानों पर जाकर जहां होम्योपैथी चिकित्सा के कार्य को चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्यक्ष देखा वहां होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं का भी अवलोकन किया । साक्ष्यों के आधार पर होम्योपैथी की पिछले वर्षों की गतिविधि तथा भविष्य के बारे में भी मत प्राप्त किये । विधेयक पर साक्ष्य के समय, सामान्य विचार के समय तथा खण्डशः विचार के समय बहुत से सुझाव, मत व संशोधन प्राप्त हुए । जिन पर सामान्यतः विचार विमर्श हुआ और कतिपय संशोधनों को स्वीकार भी किया गया । किन्तु कतिपय संशोधन अस्वीकृत हुए ।

धारा (2) (घ) में जहां तक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की परिभाषा का प्रश्न है, उसे सुलझाया नहीं गया है । परिभाषा की अस्पष्टता से चिकित्सा पद्धति के मल रूप का बोध असंभव हो गया है । अतः इसकी परिभाषा स्पष्ट की जाना आवश्यक है ।

धारा 3(ख) में जहां नाम निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है उसको दृष्टि में रखते हुए तथा होम्योपैथी के आज भी सभी प्रदेशों में समान रूप से प्रचलित व विहित चिकित्सा पद्धति न होने तथा केवल 2 प्रदेशों में वहां के विश्वविद्यालयों ने एतत् सम्बन्धी निकाय होने व शेष राज्यों के विश्वविद्यालयों में आज एतत् सम्बन्धी निकाय की आवश्यकता इस दृष्टि से अनुभव न की जाने से कि वहां उक्त चिकित्सा पद्धति जनता में अपना स्थान भलीभांति नहीं बना पाई है जिस के कुछ कारण हो सकते हैं । केन्द्रीय परिषद् में जब तक कि ऐसे सभी राज्यों में जहां विश्वविद्यालयों में उक्त होम्योपैथी चिकित्सा निकाय नहीं स्थापित होते तब तक उन राज्यों से यदि उनमें मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय या विद्यालय हैं तो एक एक शिक्षक नाम निर्दिष्ट किया जाना युक्तिसंगत होगा ।

धारा 10 (1) में अधिवेशनों के बारे में कहा गया है ऐसे अधिवेशन वर्ष में कम से कम तीन बार बुलाना आवश्यक होना चाहिए ।

धारा (क) में केन्द्रीय परिषद् में रजिस्ट्रार यदि आवश्यक हुआ तो कोषपाल का भी कार्य कर सकेगा । इस रूप में यह स्वतः निर्धारित था कि कोषपाल की नियुक्ति पृथक् होगी किन्तु उसके अभाव में रजिस्ट्रार भी कार्य कर सकेगा । परिषद् में अनावश्यक अड़चनें खड़ी न हों तथा कार्यवाही में अनपेक्षित बिलम्ब न हो इस दृष्टि से यदि उक्त व्यवस्था रहती तो कोई हानि न थी ।

धारा 17 व 18 में निरीक्षकों व परिदर्शकों की नियुक्ति की व्यवस्था है किन्तु इसमें ऐसे व्यक्तियों की होम्योपैथी सम्बन्धी योग्यता की व्यवस्था नहीं है जो आवश्यक है ।

धारा 21 में होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर की व्यवस्था है किन्तु उसमें मान्यता प्राप्त चिकित्सीया अर्हताओं की अनिवार्यता भी रखी गई है । इससे विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो अनुभव के आधार पर रजिस्टर्ड हैं उन्हें उक्त रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जायगा । यह उन चिकित्सकों के साथ न्याय नहीं होगा । व्यवस्था यह होनी चाहिए कि किसी भी राज्य में रजि-

स्टर्ड व्यक्ति केन्द्रीय रजिस्टर में भी दर्ज किया जावे फिर यदि आवश्यक हो तो ऐसे रजिस्टर को "क" "ख" भाग करके चिकित्सीय अर्हता प्राप्त व अनुभव प्राप्त इनको पृथक् किया जा सकता है। किन्तु उनको दर्ज किया जाना जरूरी है। तथा यह व्यवस्था भी आवश्यक है कि एक राज्य में रजिस्टर्ड चिकित्सक दूसरे राज्य में उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर रजिस्टर्ड हो सके।

विशेष :—होम्योपैथी विकास की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में एक होम्योपैथी कालेज होना आवश्यक है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

13 मार्च, 1973।

III

Third Schedule and Clause 14(2) (a) *and* (b)

As it is, in the Third Schedule, only three qualifications of D. F. Hom., M. F. Hom. and F. F. Hom. of the Faculty of Homoeopathy, London have been included. I feel the Schedule is incomplete as definitely some qualifications have been left out. I can understand this lapse on account of the short period of time that was before the Government to find out those persons with recognised foreign qualifications.

This can be easily done by including in the Third Schedule any other foreign qualification recognised already by any State Board in India. In this procedure there is no question of reciprocity or consultation with Foreign Institutions or Faculties.

2. To remove the ambiguity and in the larger interest of Homoeopathy education and profession, it is also necessary that clause 14(2) (a) and (b) should be worded as follows:—

"14(2) (a). The Central Council may hereafter recognise other qualifications granted to Diploma or Degree holders from this country after a further study abroad and that an entry shall be made in the last column of the Third Schedule against such medical qualification and declaring that it shall be a recognised medical qualification only when granted after a specified date."

Explanation.—There cannot be a question of reciprocity as in all the other countries of the world excepting Mexico, Homoeopathy is studied and practised as post-graduate specially after qualifying in Allopathic medicine. Hence, negotiations for reciprocity will not lead anywhere and it will come in the way of giving recognition to our Homoeopathy doctors who get the post-graduate experience abroad. Even in the case of Allopathic system of medicine, it was not actually reciprocity but it was the British Medical Council having had the right to recognise our medical colleges and their qualifications because of British Rule in India. Moreover Allopathic system of medicine is having the same standards all over the world.

14(2) (b). Where the Council has refused to recommend any medical qualification which has been applied for by the holder of such qualification and that individual applies to the Central Government in this behalf, the Central Government after considering such application and after obtaining from the Council a report, if any, as to the reasons for any such refusal, may by notification in the Official Gazette, declare that such qualification shall be a recognised medical qualification and the provisions of clause (a) shall apply accordingly.

Explanation.—The authority or institution in another country will not have any interest in such recognition by the Homoeopathy Central Council of India whereas the holder of the qualification from that institution would have direct interest in the recognition of his qualification.

K. NAGAPPA ALVA

OTHER SUGGESTIONS

In the normal course, there is always a time lag between the passing of the Bill and the formation of the Council, preparation of the Registers etc. If the following suggestions are carried out during this period, it will go a long way for the proper growth, development and standards in Homoeopathy education and profession. This will also greatly help in the process of speedy and effective implementation of the Act. The Committee has thought of these suggestions in the light of the evidence collected from individuals and institutions all over India.

(i) A National Institute of Homoeopathy should be established in Delhi at the earliest possible time.

(ii) Each State should start at least one Government Medical College with all the prescribed departments and hospital facilities.

(iii) There should be a Faculty of Homoeopathy in an University of the State.

(iv) Soon after the Central Homoeopathy Council is formed, a specialist body should be set up to find out the real position of the colleges which have been recognised by the State Governments and whose qualifications have been included in the Second Schedule and come to conclusions as to which of the colleges are much below par and which of the colleges deserve to be upgraded etc. which will enable the Central Government to give proper timely advice and guidance to the State Governments.

(v) It is also necessary that certain specific guidelines should be given to the State Governments in the matter of establishing Homoeopathy Directorates, formation of State Boards of Homoeopathy and maintaining uniformity in standards, syllabus, text-books, pharmacopoea etc. keeping in line with the purpose and objectives of this Central Legislation.

K. NAGAPPA ALVA

THE HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILL, 1971

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CHAPTER I

PRELIMINARY

CLAUSES

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

THE CENTRAL COUNCIL AND ITS COMMITTEES

3. Constitution of Central Council.
4. Mode of election.
5. Restriction on elections and membership.
6. Incorporation of Central Council.
7. Term of office of President, Vice-President and members of Central Council.
8. Meetings of Central Council.
9. The Executive Committee and other committees.
10. Meetings of committees.
11. Officers and other employees of Central Council.
12. Vacancies in the Central Council and committees thereof not to invalidate acts, etc.

CHAPTER III

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATIONS

13. Recognition of medical qualifications granted by certain medical institutions in India.
14. Recognition of medical qualifications granted by medical institutions in States or countries outside India.
15. Rights of persons possessing qualifications included in Second or the Third Schedule to be enrolled.
16. Power to require information as to courses of study and examinations.
17. Inspectors at examinations.
18. Visitors at examinations.
19. Withdrawal of recognition.
20. Minimum standards of education in Homoeopathy.

CHAPTER IV

THE CENTRAL REGISTER OF HOMOEOPATHY

CLAUSES

21. The Central Register of Homoeopathy.
22. Supply of copies of State Register of Homoeopathy.
23. Registration in the Central Register of Homoeopathy.
24. Professional conduct.
25. Removal of names from the Central Register of Homoeopathy.
26. Privileges of persons who are enrolled on the Central Register of Homoeopathy.
27. Registration of additional qualifications.
28. Persons enrolled on Central Register of Homoeopathy to notify change of place of residence or practice.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

29. Information to be furnished by Central Council and publication thereof.
30. Commission of inquiry.
31. Protection of action taken in good faith.
32. Power to make rules.
33. Power to make regulations.
THE FIRST SCHEDULE.
THE SECOND SCHEDULE.
THE THIRD SCHEDULE.

Bill No. XXX of 1971

THE HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILL, 1971

(AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE)

(Words side-lined or under-lined indicate the amendments suggested by the Committee; Asterisks indicate omissions)

A

BILL

to provide for the constitution of a Central Council of Homoeopathy and the maintenance of a Central Register of Homoeopathy and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(*2*) It extends to the whole of India.

(*3*) It shall come into force in a State on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf for such State and, different dates may be appointed for different States and for different provisions of this Act.

Definitions

2. (*1*) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Board" means a Board, Council, Examining Body or Faculty of Homoeopathy (by whatever name called) constituted by the State Government under any law for the time being in force regulating the

award of medical qualifications in, and registration of practitioners of Homoeopathy;

(*b*) "Central Council" means the Central Council of Homoeopathy constituted under section 3;

(*c*) "Central Register of Homoeopathy" means the register maintained by the Central Council under this Act;

(*d*) "Homoeopathy" means the Homoeopathic system of medicine and includes the use of Biochemic remedies;

(*e*) "medical institution" means any institution within or without India which grants degrees, diplomas or licences in Homoeopathy;

(*f*) "prescribed" means prescribed by regulations;

(*g*) "recognised medical qualification" means any of the medical qualifications, in Homoeopathy, included in the Second or the Third Schedule;

(*h*) "regulation" means a regulation made under section 33;

(*i*) "State Register of Homoeopathy" means a register or registers maintained under any law for the time being in force in any State regulating the registration of practitioners of Homoeopathy;

(*j*) "University" means any University in India established by law and having a Faculty of Homoeopathy and includes a University in India established by law in which instruction, teaching, training or research in Homoeopathy is provided.

(*2*) Any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that State.

CHAPTER II

THE CENTRAL COUNCIL AND ITS COMMITTEES

Constitution of Central Council.

3. (*1*) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute for the purposes of this Act a Central Council consisting of the following members, namely:—

(*a*) such number of members not exceeding five as may be determined by the Central Government in accordance with the provisions of the First Schedule from each State in which a State Register of Homoeopathy is maintained, to be elected from amongst themselves by persons enrolled on that register as practitioners of Homoeopathy;

(*b*) one member from each University to be elected from amongst themselves by the members of the Faculty or Department (by whatever name called) of Homoeopathy of that University:

Provided that until any such Faculty or Department of Homoeopathy is started in at least seven Universities, the Central Government may nominate such number of members not exceeding seven as may be determined by the Central Government from amongst the teaching staff of medical institutions within India, so however, that the total number of members so nominated and elected under this clause shall in no case exceed seven.

(c) such number of members, not exceeding forty per cent. of the total number of members elected under clauses (*a*) and (*b*), as may be nominated by the Central Government, from amongst persons having special knowledge or practical experience in respect of Homoeopathy or other related disciplines:

Provided that until members are elected under clause (*a*) or clause (*b*) in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Central Government shall nominate such number of members, being persons qualified to be chosen as such under the said clause (*a*) or clause (*b*), as the case may be, as that Government thinks fit; and references to elected members in this Act shall be construed as including references to members so nominated.

(*2*) The President and Vice-President of the Central Council shall be elected by the members of the Central Council from amongst themselves in such manner as may be prescribed:

Provided that for two years from the first constitution of the Central Council, the President and the Vice-President shall be nominated by the Central Government from amongst the members of the Central Council and the President and the Vice-President so nominated shall, notwithstanding anything contained in sub-section (*1*) of section 7, hold office during the pleasure of the Central Government.

Mode of election.

4. (*1*) An election under clause (*a*) or clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 3 shall be conducted by the Central Government in accordance with such rules as may be made by it in this behalf.

(*2*) Where any dispute arises regarding any election to the Central Council, it shall be referred to the Central Government whose decision shall be final.

Restriction on elections and membership.

5. (*1*) No person shall be eligible for election to the Central Council unless he possesses any of the medical qualifications included in the Second or the Third Schedule, is enrolled on any State Register of Homoeopathy and resides in the State concerned.

(*2*) No person may at the same time serve as a member in more than one capacity.

Incorporation of Central Council.

6. The Central Council shall be a body corporate by the name of the Central Council of Homoeopathy having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall by the said name sue and be sued.

Term of office of President, Vice-President and members of Central Council.

7. (*1*) The President, Vice-President or a member of the Central Council shall hold office for a term of five years from the date of his election or nomination, as the case may be, or until his successor shall have been duly elected or nominated, whichever is longer.

(*2*) A person who holds, or who has held, office as President or Vice-President of the Central Council, shall be eligible for re-election to that office once, but only once.

(3) Members of the Central Council shall be eligible for re-election or re-nomination.

(4) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if he is absent without excuse, sufficient in the opinion of the Central Council, from three consecutive ordinary meetings of the Central Council or, in the case of a member elected under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 3, if he ceases to be enrolled on the concerned State Register of Homoeopathy, or in the case of a member elected under clause (*b*) of that sub-section, if he ceases to be a member of the Faculty or Department (by whatever name called) of Homoeopathy of the University concerned.

(5) A casual vacancy in the Central Council shall be filled by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the member whose place he takes was elected or nominated.

(6) Where the said term of five years is about to expire in respect of any member, a successor may be elected or nominated at any time within three months before the said term expires but he shall not assume office until the said term has expired.

Meetings of Central Council.

8. (*1*) The Central Council shall meet at least once in each year at such time and place as may be appointed by the Central Council.

(*2*) Unless otherwise prescribed, one-third of the total number of members of the Central Council shall form a quorum, and all the acts of the Central Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

The Executive Committee and other committees.

9. (*1*) The Central Council shall constitute from amongst its members an Executive Committee and such other committees for general or special purposes as the Council deems necessary to carry out the purposes of this Act.

(*2*) (*i*) The Executive Committee (hereafter in this section referred to as the Committee), shall consist of the President and Vice-President, who shall be members *ex-officio*, and not less than five and not more than seven members who shall be elected by the Central Council from amongst its members.

(*ii*) The President and the Vice-President shall be the President and Vice-President respectively of the Committee.

(*iii*) In addition to the powers and duties conferred and imposed upon it by this Act, the Committee shall exercise and discharge such powers and duties as the Central Council may confer or impose upon it by any regulations which may be made in this behalf.

Meetings of committees.

10. (*1*) The committees constituted under section 9 shall meet at least twice in each year at such time and place as may be appointed by the Central Council.

(*2*) Unless otherwise prescribed, one-third of the total number of members of a committee shall form a quorum, and all the acts of the committee shall be decided by a majority of the members present and voting.

Officers and other employees of Central Council.

11. The Central Council shall—

(*a*) appoint a Registrar who shall also act as Secretary * * *

(*b*) employ such other persons as it deems necessary to carry out the purposes of this Act;

(*c*) require and take from the Registrar or from any other employee, such security for the due performance of his duties as the Central Council deems necessary; and

(*d*) with the previous sanction of the Central Government, fix the remuneration and allowances to be paid to the President, Vice-President and members of the Central Council and to the members of the committees thereof and determine the conditions of service of the employees of the Central Council.

Vacancies in the Central Council and committees thereof not to invalidate acts, etc.

12. No act or proceeding of the Central Council or any committee thereof shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Central Council or the committee, as the case may be.

CHAPTER III

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATIONS

Recognition of medical qualifications granted by certain medical institutions in India.

13. (*1*) The medical qualifications granted by any University, Board or other medical institution in India which are included in the Second Schedule shall be recognised medical qualifications for the purposes of this Act.

(*2*) Any University, Board or other medical institution in India which grants a medical qualification not included in the Second Schedule may apply to the Central Government to have any such qualification recognised, and the Central Government, after consulting the Central Council, may, by notification in the Official Gazette, amend the Second Schedule so as to include such qualification therein, and any such notification may also direct that an entry shall be made in the last column of the Second Schedule against such medical qualification only when granted after a specified date.

Recognition of medical qualifications granted by medical institutions in State or countries outside India.

14. (*1*) The medical qualifications granted by medical institutions outside India which are included in the Third Schedule shall be recognised medical qualifications for the purposes of this Act.

(*2*) (*a*) The Central Council may enter into negotiations with the authority in any State or country outside India, which by the law of such State or country is entrusted with the maintenance of a Register of practitioners of Homoeopathy, for settling of a scheme of reciprocity for the recognition of medical qualifications in Homoeopathy, and in pursuance of any such scheme, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Third Schedule so as to include therein any medical qualification which the Central Council has decided should be recognised, and any such notification may also direct that an entry shall

be made in the last column of the Third Schedule against such medical qualification declaring that it shall be a recognised medical qualification only when granted after a specified date.

(*b*) Where the Council has refused to recommend any medical qualification which has been proposed for recognition by any authority referred to in clause (*a*) and that authority applies to the Central Government in this behalf, the Central Government, after considering such application and after obtaining from the Council a report, if any, as to the reasons for any such refusal, may, by notification in the Official Gazette, declare that such qualification shall be a recognised medical qualification and the provisions of clause (*a*) shall apply accordingly.

* * * * * *

Rights of persons possessing qualifications included in Second or the Third Schedule to be enrolled.

15. (*1*) Subject to the other provisions contained in this Act, any medical qualification included in the Second or the Third Schedule shall be sufficient qualifications for enrolment on any State Register of Homoeopathy.

(2) No person, other than a practitioner of Homoeopathy who possesses a recognised medical qualification and is enrolled on a State Register or the Central Register of Homoeopathy,—

(*a*) shall hold office as Homoeopathic physician or any other office (by whatever designation called) in Government or in any institution maintained by a local or other authority;

(*b*) shall practise Homoeopathy in any State;

(*c*) shall be entitled to sign or authenticate a medical or fitness certificate or any other certificate required by any law to be signed or authenticated by a duly qualified medical practitioner;

(*d*) shall be entitled to give any evidence at any inquest or any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 on any matter relating to Homoeopathy.

1 of 1872.

(3) Nothing contained in sub-section (2) shall affect—

(*a*) the right of a practitioner of Homoeopathy enrolled on a State Register of Homoeopathy to practise Homoeopathy in any State merely on the ground that, on the commencement of this Act, he does not possess a recognised medical qualification;

(*b*) the privileges (including the right to practise Homoeopathy) conferred by or under any law relating to registration of practitioners of Homoeopathy for the time being in force in any State, on a practitioner of Homoeopathy enrolled on a State Register of Homoeopathy;

(*c*) the right of a person to practise Homoeopathy in a State in which, on the commencement of this Act, a State Register of Homoeopathy is not maintained if, on such commencement, he has been practising Homoeopathy for not less than five years;

(*d*) the rights conferred by or under the Indian Medical Council Act, 1956 [including the right to practise medicine as defined in clause (*f*) of section 2 of the said Act] or the Indian Medicine Central Council Act, 1970 of persons possessing any qualifications included in the respective Schedules to the said Act.

102 of 1956.

48 of 1970

(4) Any person who acts in contravention of any provision of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Power to require information as to courses of study and examinations.

16. Every University, Board or medical institution in India which grants a recognised medical qualification shall furnish such information as the Central Council may, from time to time, require as to the courses of study and examinations to be undergone in order to obtain such qualification, as to the ages at which such courses of study and examinations are required to be undergone and such qualification is conferred and generally as to the requisites for obtaining such qualification.

Inspectors at examinations.

17. (1) The Central Council shall appoint such number of medical inspectors as it may deem requisite to inspect any medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given, or to attend any examination held by any University, Board or medical institution for the purpose of recommending to the Central Government recognition of medical qualifications granted by that University, Board or medical institution.

(2) The medical inspectors shall not interfere with the conduct of any training or examination, but shall report to the Central Council on the adequacy of the standards of education including staff, equipment, accommodation, training and other facilities prescribed for giving education in Homoeopathy, as the case may be, or on the sufficiency of every examination which they attend.

(3) The Central Council shall forward a copy of any such report to the University, Board or medical institution concerned, and shall also forward a copy with the remarks of the University, Board or medical institution thereon, to the Central Government.

Visitors at examinations.

18. (1) The Central Council may appoint such number of visitors as it may deem requisite to inspect any medical college, hospital or other institution where education in Homoeopathy is given or to attend any examination for the purpose of granting recognised medical qualification.

(2) Any person, whether he is a member of the Central Council or not, may be appointed as a visitor under this section but a person who is appointed as an inspector under section 17 for any inspection or examination shall not be appointed as a visitor for the same inspection or examination.

(3) The visitors shall not interfere with the conduct of any training or examination, but shall report to the President of the Central Council on the adequacy of the standards of education including staff, equipment, accommodation, training and other facilities prescribed for giving education in Homoeopathy or on the sufficiency of every examination which they attend.

(4) The report of a visitor shall be treated as confidential unless in any particular case the President of the Central Council otherwise directs:

Provided that if the Central Government requires a copy of the report of a visitor, the Central Council shall furnish the same.

19. (*1*) When upon report by the inspector or the visitor, it appears to the Central Council— Withdrawal of recognition.

(*a*) that the courses of study and examination to be undergone in, or the proficiency required from candidates at any examination held by, any University, Board or medical institution, or

(*b*) that the staff, equipment, accommodation, training and other facilities for instruction and training provided in such University, Board or medical institution or in any college or other institution affiliated to the University,

do not conform to the standard prescribed by the Central Council, the Central Council shall make a representation to that effect to the Central Government.

(*2*) After considering such representation, the Central Government may send it to the Government of the State in which the University, Board or medical institution is situated and the State Government shall forward it along with such remarks as it may choose to make to the University, Board or medical institution, with an intimation of the period within which the University, Board or medical institution may submit its explanation to the State Government.

(*3*) On the receipt of the explanation, or, where no explanation is submitted within the period fixed, then, on the expiry of that period, the State Government shall make its recommendations to the Central Government.

(*4*) The Central Government, after making such further inquiry, if any, as it may think fit, may, by notification in the Official Gazette, direct that an entry shall be made in the Second Schedule against the said medical qualification declaring that it shall be a recognised medical qualification only when granted before a specified date, or that the said medical qualification if granted to students of a specified college or institution affiliated to any University shall be recognised medical qualification only when granted before a specified date or, as the case may be, that the said medical qualification shall be recognised medical qualification in relation to a specified college or institution affiliated to any University only when granted after a specified date.

20. (*1*) The Central Council may prescribe the minimum standards of education in Homoeopathy, required for granting recognised medical qualifications by Universities, Boards or medical institutions in India. Minimum standards of education in Homoeopathy.

(*2*) Copies of the draft regulations and of all subsequent amendments thereof shall be furnished by the Central Council to all State Governments and the Central Council shall, before submitting the regulations of any amendment thereof, as the case may be, to the Central Government for sanction, take into consideration the comments of any State Gover... for sanction, take into consideration the comments of any State Governaforesaid.

CHAPTER IV

THE CENTRAL REGISTER OF HOMOEOPATHY

The Central Register of Homoeopathy.

21. (1) The Central Council shall cause to be maintained in the prescribed manner, a register of practitioners of Homoeopathy to be known as the Central Register of Homoeopathy which shall contain—

(a) in Part I, the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Homoeopathy and possess any of the recognised medical qualifications;

(b) in Part II, the names of all persons, other than those included in Part I, who are for the time being enrolled on any State Register of Homoeopathy.

(2) It shall be the duty of the Registrar of the Central Council to keep and maintain the Central Register of Homoeopathy in accordance with the provisions of this Act and of any orders made by the Central Council, and from time to time to revise the register and publish it in the Gazette of India and in such other manner as may be prescribed.

(3) Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872, and may be proved by a copy published in the Gazette of India. 1 of 1872.

Supply of copies of State Register of Homoeopathy.

22. Each Board shall supply to the Central Council three printed copies of the State Register of Homoeopathy as soon as may be after the commencement of this Act and subsequently after the first day of April of each year, and each Board shall inform the Central Council without delay of all additions to, and other amendments in, the State Register of Homoeopathy made from time to time.

Registration in the Central Register of Homoeopathy.

23. The Registrar of the Central Council may on receipt of the report of registration of a person in a State Register of Homoeopathy or on application made in the prescribed manner by any person, enter his name in the Central Register of Homoeopathy, provided that the Registrar is satisfied that the person concerned is eligible under this Act for such registration.

Professional conduct.

24. (1) The Central Council may prescribe standards of professional conduct and etiquette and a code of ethics for practitioners of Homoeopathy.

(2) Regulations made by the Central Council under sub-section (1) may specify which violations thereof shall constitute infamous conduct in any professional respect, that is to say, professional misconduct, and such provision shall have effect notwithstanding anything contained in any law for the time being in force.

Removal of names from the Central Register of Homoeopathy.

25. (1) If the name of any person enrolled on a State Register of Homoeopathy is removed therefrom in pursuance of any power conferred by or under any law relating to registration of practitioners of Homoeopathy for the time being in force in any State, the Central Council shall direct the removal of the name of such person from the Central Register of Homoeopathy.

(2) Where the name of any person has been removed from a State Register of Homoeopathy on any ground other than that he is not possessed of the requisite medical qualifications or where any application by the said person for restoration of his name to the State Register of Homoeopathy has been rejected, he may appeal in the prescribed manner and subject to such conditions, including conditions as to the payment of a fee, as may be prescribed, to the Central Government whose decision, which shall be given after consulting the Central Council, shall be binding on the State Government and on the authorities concerned with the preparation of the State Register of Homoeopathy.

Privileges of persons who are enrolled on the Central Register of Homoeopathy.

26. (1) Subject to the conditions and restrictions laid down in this Act regarding practice of Homoeopathy by persons possessing certain recognised medical qualifications, every person whose name is for the time being borne on Part I of the Central Register of Homoeopathy shall be entitled according to his qualifications to practise Homoeopathy, in any part of India and to recover in due course of law in respect of such practice any expenses, charges in respect of medicaments or other appliances or any fees to which he may be entitled.

(2) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 15, any person whose name is for the time being borne on Part II of the Central Register of Homoeopathy, may practise Homoeopathy in any State, other than the State where he is enrolled on the State Register of Homoeopathy, with the previous approval of the Government of the State where he intends to practise.

Registration of additional qualifications.

27. (1) If any person whose name is entered in the Central Register of Homoeopathy obtains any title, diploma or other qualification for proficiency in Homoeopathy, which is a recognised medical qualification, he shall, on application made in this behalf in the prescribed manner, be entitled to have an entry stating such other title, diploma or other qualification made against his name in the Central Register of Homoeopathy either in substitution for or in addition to any entry previously made.

(2) The entries in respect of any such person in a State Register of Homoeopathy shall be altered in accordance with the alterations made in the Central Register of Homoeopathy.

Persons enrolled on Central Register of Homoeopathy to notify change of place of residence or practice.

28. Every person registered in the Central Register of Homoeopathy shall notify any transfer of the place of his residence or practice to the Central Council and to the Board concerned, within ninety days of such transfer, failing which his right to participate in the election of members to the Central Council or a Board shall be liable to be forfeited by order of the Central Government either permanently or for such period as may be specified therein.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Information to be furnished by Central Council and publication thereof.

29. (*1*) The Central Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts, and other information to the Central Government as that Government may require.

(*2*) The Central Government may publish in such manner as it may think fit, any report, copy, abstract or other information furnished to it under this section or under section 18.

Commission of inquiry.

30. (*1*) Whenever it is made to appear to the Central Government that the Central Council is not complying with any of the provisions of this Act, the Central Government may refer the particulars of the complaint to a commission of inquiry consisting of three persons, two of whom shall be appointed by the Central Government, one being a Judge of a High Court, and one by the Central Council, and such commission shall proceed to inquire in a summary manner and to report to the Central Government as to the truth of the matters charged in the complaint, and in case of any charge of default or of improper action being found by the commission to have been established, the commission shall recommend the remedies, if any, which are in its opinion necessary.

(*2*) The Central Government may require the Central Council to adopt the remedies so recommended within such time as, having regard to the report of the commission, it may think fit, and if the Central Council fails to comply with any such requirement, the Central Government may amend the regulations of the Central Council, or make such provision or order or take such other steps as may seem necessary to give effect to the recommendations of the commission.

(*3*) A commission of inquiry shall have power to administer oaths, to enforce the attendance of witnesses and the production of documents, and shall have all such other necessary powers for the purpose of any inquiry conducted by it as are exercised by a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908. 5 of 1908.

Protection of action taken in good faith.

31. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, the Central Council or a Board or any committee thereof or any officer or servant of the Government or the Central Council or the Board or the Committee aforesaid for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules.

32. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(*2*) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to make regulations.

33. The Central Council may, with the previous sanction of the Central Government, make regulations generally to carry out the purposes of this Act, and, without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for—

(*a*) the manner of election of the President and the Vice-President of the Central Council;

(*b*) the management of the property of the Central Council and the maintenance and audit of its accounts;

(*c*) the resignation of members of the Central Council;

(*d*) the powers and duties of the President and Vice-President;

(*e*) the summoning and holding of meetings of the Central Council and the committees thereof, the times and places where such meetings are to be held, and the conduct of business threat and the number of members necessary to constitute a quorum;

(*f*) the functions of the committees constituted under section 9;

(*g*) the tenure of office, and the powers and duties of the Registrar and other officers and servants of the Central Council;

(*h*) the qualifications, appointment, powers and duties of and procedure to be followed by, inspectors and visitors;

(*i*) the courses and period of study of practical training to be undertaken, the subjects of examination and the standards of proficiency therein to be obtained, in any University, Board or medical institution for grant of recognised medical qualification;

(*j*) the standards of staff, equipment, accommodation, training and other facilities for education in Homoeopathy;

(*k*) the conduct of professional examinations, qualifications of examiners and the conditions of admission to such examinations;

(*l*) the standards of professional conduct and etiquette and code of ethics to be observed by practitioners of Homoeopathy;

(*m*) the particulars to be stated, and the proof of qualifications to be given in applications for registration under this Act;

(*n*) the manner in which and the conditions subject to which an appeal under section 25 may be preferred;

(*o*) the fees to be paid on applications and appeals under this Act; and

(*p*) any matter for which under this Act provision may be made by regulations.

THE FIRST SCHEDULE

[*See* section 3 (*1*) (*a*)]

1. The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, determine the number of seats allocated in the Central Council of Homoeopathy in each State on the following basis, namely:—

(*a*) Where the number of persons enrolled on a State Register of Homoeopathy system exceeds 100 but does not exceed 10,000 .. 1 seat.

(*b*) Where the number of persons enrolled on a State Register of Homoeopathy system exceeds 10,000 but does not exceed 20,000 .. 2 seats.

(*c*) Where the number of persons enrolled on a State Register of Homoeopathy system exceeds 20,000 but does not exceed 30,000 .. 3 seats.

(*d*) Where the number of persons enrolled on a State Register of Homoeopathy system exceeds 30,000 but does not exceed 40,000 .. 4 seats.

(*e*) Where the number of persons enrolled on a State Register of Homoeopathy system exceeds 40,000 .. 5 seats.

2. For every subsequent election to the Central Council under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 3, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, determine the number of seats allocated in the Central Council of Homoeopathy on the basis laid down in paragraph 1 above.

THE SECOND SCHEDULE

(*See* section 13)

RECOGNISED MEDICAL QUALIFICATIONS IN HOMOEOPATHY GRANTED BY UNIVERSITIES, BOARDS OR MEDICAL INSTITUTIONS IN INDIA

Name of University, Board or Medical Institution	Recognised medical qualification	Abbreviation for registration	Remarks
1	2	3	4
ANDHRA PRADESH			
1. Andhra Provincial Homoeopathic Medical College, Gudivada.	Diploma in Homoeopathic Medicine.	D.H.M.	April, 1949 to March, 1969.
2. Dr. Gururaju Government Homoeopathic Medical College, Gudivada.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	From April, 1970 onwards.
3. Board of Indian Medicine, Hyderabad.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	From October, 1971.

1	2	3	4
BIHAR			
4. Bihar State Board of Homoeopathic Medicine.	Diploma in Medicine and Surgery.	D.M.S.	Since 1961.
	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	From 1971 onwards.
DELHI			
5. Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi.	Diploma in Homoeopathic Science.	D.H.S.	From 1965 to 1970-71.
	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	From 1971 onwards.
KERALA			
6. Board of Examiners in Homoeopathy, Government of Kerala.	Diploma in Homoeopathic Medicine.	D.H.M.	From 1962 onwards.
7. Royal College of Homoeopathic Physicians, Ernakulam.	Licentiate of Royal College of Homoeopathic Physicians.	L.R.C.H.P.	Up to 1966-67.
MADHYA PRADESH			
8. The Board of Homoeopathic and Biochemic Systems of Medicine, Madhya Pradesh.	Diploma in Homoeopathy and Biochemistry.	D.H.B.	From 1960 onwards.
MAHARASHTRA			
9. The Court of Examiner of Homoeopathic and Biochemic Systems of Medicine, Bombay.	Licentiate of the Court of Examiners in Homoeopathy.	L.C.E.H.	From December 1961 onwards.
	Diploma in Homoeopathy and Biochemistry.	D.H.B.	From October, 1955 onwards.
10. Court of Examiners in Homoeopathy.	Fellow of the Court of Examiners in Homoeopathy.	F.C.E.H.	In May, 1958 only.
ORISSA			
11. Orissa Board of Homoeopathic Medicine, Bhubaneswar.	Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery.	D.H.M.S.	From 1973 onwards.
UTTAR PRADESH			
12. State Board of Homoeopathic Medicine, U.P., Lucknow.	Graduate of Homoeopathic Medicine and Surgery.	G.H.M.S.	In 1961 to 1963
	Bachelor of Medicine and Surgery.	B.M.S.	From 1958 to 1960 and from 1970 onwards.
	Certificate of Homoeopathic Practice.	C.H.P.	
13. Agra University, Agra.	Graduate of Homoeopathic Medicine and Surgery.	G.H.M.S.	From
14. Kanpur University, Kanpur.	Graduate of Homoeopathic Medicine and Surgery.	G.H.M.S.	From

wards.

	1	2	3	4
15.	National Homoeopathic Medical College and Hospital, Lucknow.	..	H.L.M.S.	From 1923 to 1936.
			H.M.D.	From 1925 to 1942.
			H.M.B.	From 1924 to 1949.
			B.M.S.	From 1950 to 1957.
16.	Homoeopathic Medical College, Lucknow.		H.M.B.	From 1931 to 1936.
	WEST BENGAL			
17.	The Council of Homoeopathic Medicine, West Bengal.	Diploma in Medicine and Surgery.	D.M.S.	From 1965 onwards.
18.	General Council and State Faculty of Homoeopathic Medicine, West Bengal.	Diploma in Medicine and Surgery.	D.M.S.	From 1943 to 1964.
19.	Calcutta Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Bachelor of Homoeopathic Medicine.	H.M.B.	Up to 1936.
		Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.	B.M.B.S.	From 1936 to 1942.
20.	Bengal Allen Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery.	B.H.M.S.	Up to 1942.
		Master of Homoeopathic Medicine and Surgery.	M.H.M.S.	Up to 1942.
		Licentiate in Homoeopathic Medicine and Surgery.	L.H.M.S.	Up to 1942.
21.	Dunham Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Member of Dunham College of Homoeopathy.	M.D.C.H.	Upto 1942.
22.	Ashutosh Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Practitioner of Rational System of Medicine.	P.R.S.M.	Up to 1942
		Practitioner of Healing Art.	P.H.A	Up to 1942.
23.	Herring Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Licentiate of the Rational Homoeopathic Society.	L.R.H.S.	Up to 1942.
24.	Regular Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Licentiate in Homoeopathic Medicine and Surgery.	H.L.M.S.	Up to 1942.
25.	Central Homoeopathic College, Calcutta.	...	H.L.M.S. H.M.B.	1910. 1910.
26.	Bengal Homoeopathic Medical College, Calcutta.	Bachelor of Homoeopathic Medicine.	H.M.B.	Up to 1942.

THE THIRD SCHEDULE

(*See* section 14)

QUALIFICATIONS GRANTED BY MEDICAL INSTITUTIONS OUTSIDE INDIA

	Name of University, Board or Medical Institution	Recognised medical qualification	Abbreviation for registration	Remarks
	1	2	3	4
1.	Faculty of Homoeopathy, London.	Diploma of the Faculty of Homoeopathy.	D.F. Hom.	..
2.	Faculty of Homoeopathy, London.	Member of the Faculty of Homoeopathy.	M.F. Hom.	..
3.	Faculty of Homoeopathy, London.	Fellow of the Faculty of Homoeopathy.	F.F. Hom.	..

B. N. BANERJEE,
Secretary.

राज्य सभा

होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक से सम्बन्धित सभाओं के संयुक्त समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन सोमवार, 26 मार्च, 1973 को राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था :—

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक, 1971 संबंधी संयुक्त समिति का गठन

1. श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय—अध्यक्ष

सदस्य

राज्य सभा

2. श्री शशांक शेखर सान्याल
3. श्री भूपेन्द्र सिंह
4. श्री एन० जी० गोरे
5. डा० के० नागप्पा आल्वा
6. डा० वेबीप्रसाद चट्टोपाध्याय
7. श्री सीताराम केसरी
8. श्री मान सिंह वर्मा
9. श्री टी० के० श्रीनिवासन
10. श्री के० सी० पंडा
11. श्री मनुभाई शाह
12. श्री सुलतान सिंह
13. श्री एन० पी० चौधरी
14. श्री त्रिबंक गोपाल देशमुख
15. श्रीमती सविता बहिन

लोक सभा

16. श्री जियाऊर्रहमान अंसारी
17. श्री विद्याधर बाजपेयी
18. श्री कुशोक बाकुला
19. श्री मोहम्मद खुदा बख्शा
20. श्री ए० एम० चेलाचामी
21. श्री धामनकर
22. श्री हिरा लाल डोडा
23. श्री नागेश्वर द्विवेदी
24. श्री पप्पन गौडा
25. श्री माधुर्य्य हालदार
26. श्री चिरंजीब झा
27. श्री पोपटलाल एम० जोशी

28. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
29. श्री बी० आर० कवड़े
30. श्री टी० एस० लक्ष्मणन
31. श्री मल्लिकार्जुन
32. श्री प्रसन्नभाई मेहता
33. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
34. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
35. श्री जे० पी० पटनायक
36. श्री एस० एल० पेजे
37. श्री इसहाक सम्भाली
38. श्री एम० सत्यनारायण राव
39. श्री उमेद सिंह राठिया
40. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
41. डा० संकटा प्रसाद
42. श्री अवधेश चन्द्र सिंह
43. श्री राम देव सिंह
44. श्री रणबहादुर सिंह
45. श्री ए० के० किस्कु

मंत्रालयों के प्रतिनिधि

विधि और न्याय मंत्रालय

श्री पी० एल० गुप्ता, अतिरिक्त विधायी काउन्सेल
श्रीमती बी० एस० रामा देवी, उपविधायी काउन्सेल

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

डा० जुगल किशोर, होम्योपैथी में सलाहकार
श्री पी० बी० हरिहरशंकरन, उप सचिव
श्री डी० पी० रसतोगी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी।

सचिवालय

श्री एम० एस० पाणिग्रही, उप सचिव
श्री एम० के० जैन, अवर सचिव।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति की अध्यक्ष जिसे होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने का उपबंध करने वाला विधेयक सौंपा गया था, जैसा कि संयुक्त समिति ने प्राधिकृत किया है, समिति की ओर से उसका यह प्रतिवेदन जिसके साथ समिति द्वारा यथा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, उपस्थित करती हूं ।

2. यह विधेयक राज्य सभा में 1 दिसम्बर, 1971 को पुरःस्थापित किया गया था । विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव 3 अप्रैल, 1972 को श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा उपस्थित किया गया था और उसे उसी दिन सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ।

3. लोक सभा ने 24 मई, 1972 को प्रस्ताव पर विचार किया और उससे सहमति प्रकट की ।

4. लोक सभा से संदेश की सूचना राज्य सभा को 24 मई, 1972 को दी गई ।

5. समिति ने कुल मिलाकर 26 बैठकें की; साक्षियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए राज्य सभा के सभापति की अनुमति से इनमें से पांच बैठकें (25 सितम्बर से 29 सितम्बर 1972 तक) कलकत्ता में, पांच बैठकें (3 अक्तूबर से 7 अक्टूबर 1972 तक) बम्बई में, चार बैठकें (28, 30 और 31 अक्तूबर, और 1 नवम्बर 1972 को) त्रिवेन्द्रम में हुई । समिति को इन स्थानों पर कुछ होम्योपैथी कालेजों और अस्पतालों का दौरा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ । शेष बैठकें संसद भवन में हुई ।

6. 3 जून, 1972 की अपनी पहली बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि विधेयक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों से 10 जुलाई, 1972 तक लिखित ज्ञापन आमंत्रित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए जो विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखते हों, अध्यक्ष ने सदस्यों से भी उन लोगों के नाम सुझाने का अनुरोध किया जिन्हें समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जा सके ।

7. समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनरों, व्यावसायिक समुदायों, होम्योपैथिक संस्थाओं, राज्य होम्योपैथिक बोर्डों/परिषदों और राज्य सरकारों को पांच विभिन्न प्रश्नावलियां जारी की गईं जिससे उन प्रश्नावलियों* में निहित विशिष्ट प्रश्नों पर उत्तर प्राप्त हो सकें ।

8. समिति को 248 व्यक्तियों, व्यावसयिक समुदायों, संस्थाओं, राज्य-बोर्डों और परिषदों और राज्य सरकारों से विधेयक के विभिन्न उपबंधों के सम्बन्ध में विचार, टिप्पणियां, सुझाव और प्रश्नावलियों के उत्तर से युक्त 100 ज्ञापन प्राप्त हुए ।

9. समिति ने 102 साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य सुना ।

10. समिति ने विनिश्चय किया कि उसके समक्ष दिया गया साक्ष्य दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये ।

11. समिति ने अपनी 8 मार्च, 1973 की बैठक में प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया ।

12. समिति द्वारा विधेयक में किये गये मुख्य मुख्य परिवर्तन और वैसा करने के कारण अगले पैराग्राफों में दिये गये हैं ।

खण्ड 2

समिति यह अनुभव करती है कि चिकित्सा की होम्योपैथिक पद्धति के अभिज्ञान के प्रयोजन के लिए 'होम्योपैथी की परिभाषा में उसके संस्थापक के नाम का उल्लेख करना सर्वथा आवश्यक नहीं है ।

*ये प्रश्नावलियां साक्ष्य की जिल्द संख्या 1 में सम्मिलित हैं ।

समिति का यह भी मत है कि यद्यपि चिकित्सा की होम्योपैथिक पद्धति में बायोकैमिक उपचारों का प्रयोग सम्मिलित है तथापि, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 'होम्योपैथी' की परिभाषा में बायोकैमिक उपचारों का प्रयोग सम्मिलित करना बेहतर है ।

इसलिए समिति ने तदनुसार उपखण्ड (1) के पैरा (घ) में परिभाषा में परिवर्तन किया है ।

खण्ड 3

खण्ड में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय परिषद् के शैक्षिक हित के प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के होम्योपैथी संकाय अथवा विभाग के सदस्यों द्वारा एक सदस्य के निर्वाचन का उपबंध है । समिति का विचार है कि इस समय देश में केवल एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें होम्योपैथी का संकाय है । और समिति यह अनुभव करती है कि जब तक कुछ अन्य विश्वविद्यालय होम्योपैथी के संकाय अथवा विभाग नहीं खोलते तब तक केन्द्रीय परिषद् में शैक्षिक हित का प्रतिनिधित्व नगण्य होगा । इसलिए ऐसे हित को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समिति यह अनुभव करती है कि जब तक 7 विश्वविद्यालय होम्योपैथी के संकाय अथवा विभाग नहीं प्रारंभ करते तब तक उसकी सदस्यता की संख्या जितनी कम पड़ती है, उसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं के अध्यापकों में से नाम निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए । तदनुसार समिति ने उपखण्ड (1) के पैरा (ख) ; एक परन्तुक जोड़ दिया है ।

समिति का यह भी मत है कि केन्द्रीय परिषद में उन व्यक्तियों को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना आवश्यक है जिन्हें होम्योपैथी अथवा अन्यसम्बद्ध विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है । इस लिए समिति ने ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया है ।

खण्ड में अन्य परिवर्तन स्पष्टीकरण के लिए किये गये हैं ।

खण्ड 7

समिति ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि केन्द्रीय परिषद् जैसे निकायों थे वही व्यक्ति कई पदावधियों तक पद-धारण करते रहते हैं । समिति का विचार है कि यदि केन्द्रीय परिषद् में अनिर्दिष्ट पदावधियों के लिए उन्हीं व्यक्तियों के बने रहने पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया तो परिषद् प्रभावी ढंग से कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेगी । अतः समिति ने इस खण्ड में संशोधन करके यह उपबन्ध कर दिया है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद धारण करने वाले व्यक्ति लगातार दो पदावधियों से अधिक के लिए ऐसे पद धारण करने के पात्र नहीं होंगे ।

खण्ड 10

समिति का यह मत है कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा गठित की जाने वाली समितियों को इस पद्धति की समुचित अभिवृद्धि और विकास के लिए अधिक बैठक करनी चाहिए और उसने खण्ड में संशोधन करके यह उपबन्ध कर दिया है कि इन समितियों की प्रति वर्ष कम से कम दो बैठक हुआ करेंगी ।

खण्ड 11

समिति यह अनुभव करती है कि केन्द्रीय परिषद् के पंजीकार के लिए कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करना स्वस्थ परिपाटी नहीं होगी । खण्ड में समुचित रूप से संशोधन कर दिया गया है ।

खण्ड 14

समिति ने उन व्यक्तियों के प्रैक्टिस करने के अधिकार को संरक्षण देने के प्रश्न पर विचार किया जिनके पास भारत से बाहर के संस्थानों द्वारा प्रदत्त होम्योपैथी से डिग्रियां, डिप्लोमे या लाइसेंस हैं । जबकि खण्ड 2(1) (ङ) में "चिकित्सा संस्थान" शब्दों का अभिप्राय भारत के अन्दर या बाहर के किसी ऐसे संस्थान से है जो होम्योपैथी में डिग्रियां, डिप्लोमा या लाइसेंस देता है, तथापि खण्ड 14 में

भारत से बाहर किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में समिति का ध्यान इस ओर भी गया है कि द्वितीय अनुसूची में भी ऐसी किसी चिकित्सा अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः समिति अनुभव करती है कि भारत से बाहर के प्रतिष्ठा-प्राप्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदत्त कतिपय चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करके इस अन्तर को पूरा किया जाना चाहिए और उस प्रयोजन के लिए एक पृथक् अनुसूची अर्थात्, तृतीय अनुसूची उसमें सम्मिलित कर दी जानी चाहिए । अतः समिति ने इस खण्ड को समुचित रूप से उपान्तरित कर दिया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें एक नई तृतीय अनुसूची भी सम्मिलित कर दी है ।

खण्ड 21 और 26

समिति ने इस बात को ध्यान में रखा है कि वर्तमान खण्ड 21 में होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर में उन व्यक्तियों के नामांकन के लिए कोई उपबन्ध नहीं है जिनके पास ऐसी कोई चिकित्सा अर्हताएं नहीं हैं जिन्हें इस विधेयक के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, यद्यपि वे होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नामांकित हैं । होम्योपैथी के क्षेत्र में उनमें से अधिकांश के योगदान को दृष्टि में रखते हुए, समिति यह अनुभव करती है कि उन्हें उनकी पसन्द के किसी राज्य में प्रैक्टिस करने से पूर्ण रूप से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । अतः समिति ने निम्नलिखित उपबन्ध करने हेतु खण्ड 21 और 26 में संशोधन कर दिया है :—

(1) केन्द्रीय रजिस्टर को भागों में रखना—भाग 1 में ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो फिलहाल किसी राज्य-रजिस्टर में नामांकित हैं और जिनके पास मान्यता-प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई अर्हता है और भाग 2 में भाग 1 में सम्मिलित व्यक्तियों के अलावा ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो फिलहाल होम्योपैथी के किसी राज्य-रजिस्टर में नामांकित हैं; और

(2) केन्द्रीय रजिस्टर के भाग 2 में नामांकित व्यक्तियों की, किसी राज्य में उस राज्य की सरकार की पूर्व अनुमोदन से प्रैक्टिस करने की पात्रता, जहां ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं ।

खण्ड 33

समिति अनुभव करती है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों और परिदर्शकों की अर्हताएं इस खण्ड के अधीन बनाये जाने वाले विनियमों में निर्दिष्ट की जानी चाहिए और उसने इसके लिए पैराग्राफ (ज) में संशोधन कर दिया है ।

द्वितीय अनुसूची

समिति ने अनुसूची को उद्यतन रूप प्रदान करने हेतु बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन, हैदराबाद तथा उड़ीसा बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, भुवनेश्वर द्वारा होम्योपैथिक मेडिसिन तथा सर्जरी में प्रदत्त डिप्लोमाओं को उसमें शामिल कर दिया है ।

तृतीय अनुसूची

समिति ने इस नई अनुसूची को, जिसमें भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों द्वारा होम्योपैथी में प्रदत्त डिग्रियों, डिप्लोमाओं और लाइसेंसों के विवरण दिये गये हैं और जिन्हें अधिनियम के अधीन मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव है, सम्मिलित कर दिया है ।

13. विधेयक में किये गये अन्य परिवर्तन पारिमाणिक और प्रारूपीय प्रकार के हैं ।

14. सुविधा तथा अभिदेशन संबंधी प्रयोजनों के लिए एक उपाबंध जोड़ दिया गया है जिसमें राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में विधेयक के उन खण्डों का विवरण दे दिया गया है जिनमें अब संयुक्त समिति द्वारा संशोधन किया गया है ।

15. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

पुरबी मुखोपाध्याय,
संयुक्त समिति की
अध्यक्ष,

नई दिल्ली;
8 मार्च, 1973

विभक्त टिप्पण

I

प्रारंभिक स्थिति में विधेयक एक उच्चस्तरीय परिषद् के माध्यम से नियंत्रण की संकल्पना मात्र था । लेकिन प्रारम्भ से ही संयुक्त प्रवर समिति ने विभिन्न प्रगत्युन्मुख आयामों में विधेयक के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए स्पष्ट रुझान प्रकट किए । सभापति इसके लिए तत्काल प्रोत्साहित कर रहे थे और मंत्री महोदय ने अपनी तत्परता व्यक्त करने में संकोच नहीं किया ।

समिति का दौरा अत्यंत लाभप्रद रहा । उस दौरान जैसा कि स्वयं दिल्ली में भी हुआ, सुधार के लिए संभावनाओं के व्यापक क्षेत्र की खोज की गई और परोपकारी प्रतिभा तथा अनुभव सम्पन्न होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की गवाही ली गई ।

यह देख कर ज्ञानवर्धन हुआ कि हमारे महान देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भूमि की सहज उपज की तरह सरकार द्वारा सहायियत, असहायियत और अर्ध-सहायियत असंख्य होम्योपैथिक संस्थाओं का किस प्रकार विकास हुआ है । यह बड़ी शोचनीय बात है कि उन्हें परम्परागत एलोपैथी के समकक्ष नहीं समझा जाता और न उस प्रकार उनकी देख भाल ही की जाती है । यह देख कर बड़ा संतोष मिला और जानकारी हुई कि कुल मिला कर होम्योपैथ स्वयं को अन्य पद्धतियों के पूजकों के एक मात्र प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं समझते लेकिन प्रतिस्पर्धी होते हुए भी वे अपने को उनका पूरक मानते हैं ।

हमें तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सम्पूर्ण देश में होम्योपैथिक उपचार के लिए इच्छा बढ़ती ही जा रही है ।

यह इस कारण है कि होम्योपैथ केवल रोगी के रोग का ही निदान नहीं करता अपितु रोगी के प्रति भी उतना ही अच्छा व्यवहार करता है ।

तथापि यह निराशाजनक बात है कि सरकार की चिन्ता और लोगों की तीव्र आशा के बावजूद हम लक्ष्य के कहीं भी समीप नहीं हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना अभी दूर की चीज है । एलोपैथिक अस्पताल हमारे रोगियों के अत्यंत सीमित प्रतिशत को ही स्थान दे सकते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे 90 प्रतिशत साथी किसी न किसी पुराने रोग से पीड़ित रहते हैं लेकिन न तो व अपनी आजीविका के साधन यहां तक कि उनकी खोज ही छोड़ पायेंगे और न उन्हें अस्पताल में भरती किया जा सकेगा । उनके गांवों में रोग निदान सम्बन्धी परीक्षण नहीं किये जा सकते और उनके लिए अपने रक्त, मूत्र आदि की जांच के लिए शहर जा पाना और अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग अथवा किसी निजी क्लिनिक में जांच करा सकना, उनसे कुछ ऐसी अपेक्षा करना होगा जो पूरी नहीं हो सकती ।

अतएव राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बाद दूसरी योजना होम्योपैथी के चलते फिरते यूनिटों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाना है जिससे कि हमारे मेहनतकश लोग, जो अपने पुराने रोगों के रहते हुए भी बिस्तर पर पड़े नहीं रह सकते, अपना जीवन और आजीविका शान्तिपूर्वक जारी रख सकें और उसके साथ ही इन चलते फिरते यूनिटों के माध्यम से नियमित उपचार का लाभ भी प्राप्त कर सकें ।

एक वास्तविक होम्योपैथ का ज्ञान और उसकी अनुभव जन्य सूझबूझ पांच वर्षों के परीक्षण के दौरान, जिसका कि ऊपर सुझाव दिया गया है, हमारे गांवों की शारीरिक और मानसिक खिन्नता कम करने, जन शक्ति के रूप में उन्हें अधिक प्रोत्साहित करने और समझदार नागरिकों के रूप में अधिक लाभदायक बनाने में सफल होगी ।

इस सम्बन्ध में होम्योपैथ की अपेक्षित प्रतिभाओं के निर्माण के लिए उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान आदि के अतिरिक्त मनोविज्ञान और मनोविकास विज्ञान का पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

शशांक शेखर सान्याल,

माधुर्य हालदार,

इसहाक सम्भली ।

II

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के आधारिक सिद्धान्तों में तथा होम्योपैथी के मूल सिद्धान्तों में भिन्नता होने के कारण होम्योपैथी के लिए पृथक् केन्द्रीय परिषद् की आवश्यकता को अनुभव करते हुए तथा उसके सुविकास के साथ उसे अधिक प्रभावी, जनोपयोगी व सुसंगत बनाने की दृष्टि से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1971 संसद् के समक्ष आया जिसे संसद के दोनों सदनों को संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा गया।

संयुक्त प्रवर समिति ने विभिन्न स्थानों पर जाकर जहां होम्योपैथी चिकित्सा के कार्य को चिकित्सा संस्थाओं में प्रत्यक्ष देखा वहां होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं का भी अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर होम्योपैथी की पिछले वर्षों की गतिविधि तथा भविष्य के बारे में भी मत प्राप्त किये। विधेयक पर साक्ष्य के समय, सामान्य विचार के समय तथा खण्डशः विचार के समय बहुत से सुझाव, मत व संशोधन प्राप्त हुए जिन पर सामान्यतः विचार-विमर्श हुआ और कतिपय संशोधनों को स्वीकार भी किया गया। किन्तु कतिपय संशोधन अस्वीकृत हुए।

धारा (2) (घ) में

जहां तक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की परिभाषा का प्रश्न है, उसे सुलझाया नहीं गया है। परिभाषा की अस्पष्टता से चिकित्सा पद्धति के मूल रूप का बोध असम्भव हो गया है अतः इसकी परिभाषा स्पष्ट की जानी आवश्यक है।

धारा 3 (ख) में जहां नाम निर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था है उसको दृष्टि में रखते हुए तथा होम्योपैथी के आज भी सभी प्रदेशों में समान रूप से प्रचलित व विहित चिकित्सा पद्धति न होने तथा केवल 2 प्रदेशों में वहां के विश्वविद्यालयों में एतत् सम्बन्धी निकाय होने व शेष राज्यों के विश्वविद्यालयों में आज एतत् सम्बन्धी निकाय की आवश्यकता इस दृष्टि से अनुभव न की जाने से कि वहां उक्त चिकित्सा पद्धति जनता में अपना स्थान भलीभांति नहीं बना पाई है जिसके कुछ कारण हो सकते हैं। केन्द्रीय परिषद् में जब तक कि ऐसे सभी राज्यों में जहां विश्वविद्यालयों में उक्त होम्योपैथी चिकित्सा निकाय नहीं स्थापित होते तब तक उन उन राज्यों से यदि उनमें मान्यता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय या विद्यालय हैं तो एक एक शिक्षक नाम निर्दिष्ट किया जाना युक्तिसंगत होगा।

धारा 10 (1) में अभिवेशनों के बारे में कहा गया है ऐसे अधिवेषन वर्ष में कम से कम तीन बार बुलाना आवश्यक होना चाहिए।

धारा (क) में केन्द्रीय परिषद् में रजिस्ट्रार यदि आवश्यक हुआ तो कोषपाल का भी कार्य कर सकेगा। इस रूप में यह स्वतः निर्धारित था कि कोषपाल की नियुक्ति पृथक होगी किन्तु उसके अभाव में रजिस्ट्रार भी कार्य कर सकेगा। परिषद् में अनावश्यक अड़चनें खड़ी न हों तथा कार्यवाही में अनपेक्षित विलम्ब न हो इस दृष्टि से यदि उक्त व्यवस्था रहती तो कोई हानि न थी।

धारा 17 व 18 में निरीक्षकों व परिदर्शकों की नियुक्ति की व्यवस्था है किन्तु इसमें ऐसे व्यक्तियों की होम्योपैथी सम्बन्धी योग्यता की व्यवस्था नहीं है जो आवश्यक है।

धारा 21 में होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर की व्यवस्था है किन्तु उसमें मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं की अनिवार्यता भी रखी गई है। इससे विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो अनुभव के आधार पर रजिस्टर्ड है उन्हें उक्त रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जायेगा। यह उन चिकित्सकों के साथ न्याय नहीं होगा। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड व्यक्ति केन्द्रीय रजिस्टर में भी दर्ज किया जावे फिर यदि आवश्यक हो तो ऐसे रजिस्टर को 'क' से 'ख' भाग करके चिकित्सीय अर्हता प्राप्त व अनुभव प्राप्त इनको पृथक् किया जा सकता है। किन्तु उनको दर्ज किया जाना जरूरी है। तथा यह व्यवस्था भी आवश्यक है कि एक राज्य में रजिस्टर्ड चिकित्सक दूसरे राज्य में उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर रजिस्टर्ड हो सके।

विशेष: होम्योपैथी विकास की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में एक होम्योपैथी कालेज होना आवश्यक है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

13 मार्च, 1973.

III

तृतीय अनुसूची तथा खण्ड 14 (2) (क) और (ख)

वर्तमान रूप में तृतीय अनुसूची में होम्योपथी संकाय, लन्दन की डी०एफ० होम्यो, एम०एफ० होम्यो तथा एफ०एफ० होम्यो की केवल तीन अर्हताएं सम्मिलित की गई हैं। मैं अनुभव करता हूं कि यह अनुसूची अपूर्ण है क्योंकि निश्चित रूप से कुछ अर्हताएं छोड़ दी गई हैं, मान्यता प्राप्त विदेशी अर्हताओं वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए अत्यल्प समय होने के कारण हुई इस चूक को मैं समझ सकता हूं।

भारत में किसी राज्य बोर्ड द्वारा पहले से ही मान्यताप्राप्त किसी अन्य विदेशी अर्हता को इस तृतीय अनुसूची में सम्मिलित करके ऐसा सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में विदेशी संस्थानों या संकायों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान करने अथवा परामर्श करने का कोई प्रश्न नहीं है।

2. संदिग्धता को दूर करने और होम्योपैथी की शिक्षा तथा व्यवसाय के वृहत्तर हित में यह आवश्यक है कि खण्ड 24 (2) (क) तथा (ख) को निम्नलिखित रूप में रखा जाये :—

"14 (2) (क) केन्द्रीय परिषद् एतद् पश्चात् विदेशों में और अध्ययन के पश्चात् इस देश के डिप्लोमा या डिग्री धारियों को प्रदान की गई अन्य अर्हताओं को मान्यता प्रदान कर सकती है और यह कि तृतीय अनुसूची के अंतिम कालम में ऐसी चिकित्सा अर्हता के सामने एक प्रविष्टि की जायेगी और यह घोषित किया जायेगा कि यह केवल तब मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की जाये।"

स्पष्टीकरण : इसमें पारस्परिक आदान-प्रदान का कोई प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिको को छोड़ कर विश्व के अन्य सभी देशों में होम्योपैथी का अध्ययन तथा व्यवसाय एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् स्नातकोत्तर विशेषता के रूप में किया जाता है। अतः पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए बात चीत का का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और इससे होम्योपैथी के हमारे ऐसे डाक्टरों को मान्यता प्रदान करने में अड़चन आयेगी जो विदेशों में स्नातकोत्तर अनुभव प्राप्त करते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी वस्तुतः यह पारस्परिक आदान-प्रदान का मामला नहीं था वरन् इसका कारण यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन के कारण ब्रिटिश चिकित्सा परिषद् को हमारे चिकित्सा कालेजों और उनकी अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के सम्पूर्ण विश्व में एक से ही मानक हैं।

14 (2) (ख) जहां इस परिषद् ने किसी ऐसी चिकित्सीय अर्हता की सिफारिश करने से इंकार कर दिया हो जिसके लिए किसी ऐसी अर्हता प्राप्त व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया हो और वह व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से इस निमित्त आवेदन करता है, उस दशा में केन्द्रीय सरकार ऐसे आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी किसी भी इंकारी के कारणों के बारे में परिषद् की रिपोर्ट, यदि कोई हो, अभिप्राप्त करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी अर्हता मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता होगी और खण्ड (क) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: भारतीय होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् द्वारा ऐसी मान्यता प्रदान करने में अन्य देश के प्राधिकरण या संस्थान की कोई दिलचस्पी नहीं होगी जबकि उस संस्थान से अर्हता प्राप्त व्यक्ति का उसकी अर्हता की मान्यता में प्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी होगी।

अन्य सुझाव

सामान्यतया विधेयक के पारण और परिषद् के गठन, रजिस्ट्रर आदि तैयार करने के बीच समय का सदैव अन्तराल रहता है । यदि इस अवधि के दौरान निम्नलिखित सुझावों पर अमल किया जाये तो इससे होम्योपैथी की शिक्षा तथा व्यवसाय की समुचित अभिवृद्धि विकास और मानकों में काफी सहायता मिलेगी । इससे अधिनियम के त्वरित तथा प्रभावी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में काफी सहायता मिलेगी । समिति ने सम्पूर्ण भारत में व्यक्तियों और संस्थानों से एकत्र किए गए साक्ष्य को देखते हुए इन सुझावों पर विचार किया है ।

(I) दिल्ली में यथाशीघ्र होम्योपैथी का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए ।

(II) प्रत्येक राज्य को सभी निर्धारित विभागों और अस्पताल की सुविधाओं समेत कम से कम एक सरकारी मेडिकल कालेज आरम्भ करना चाहिए ।

(III) राज्य के विश्वविद्यालय में होम्योपैथी का एक संकाय होना चाहिए ।

(IV) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के गठन के तुरन्त पश्चात् ऐसे कालेजों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए, जिनको राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और जिनकी अर्हताएं द्वितीय सूची में सम्मिलित की गई हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कौन से कालेज औसत स्तर से नीचे हैं और कौन से कालेजों का दर्जा आदि बढ़ाया जाना चाहिए, एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाना चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का समय पर समुचित सलाह देने और मार्ग दर्शन करने में समर्थ हो सकेगी ।

(V) यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकारों को होम्योपैथी निदेशालय स्थापित करने, होम्योपैथी के राज्य बोर्डों का गठन करने तथा इस केन्द्रीय विधान के प्रयोजन तथा उद्देश्यों के अनुरूप मानकों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों, मान्य औषध-कोश आदि में एक रूपता बनाए रखने के मामले में कतिपय विशिष्ट निर्देशन दिये जाने चाहिये ।

के० नागप्पा आलवा

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

विधेयक, 1971

खण्डों का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

केन्द्रीय परिषद् और उसकी समितियां

3. केन्द्रीय परिषद् का गठन ।
4. निर्वाचन का ढंग ।
5. निर्वाचन और सदस्यता पर निर्बन्धन ।
6. केन्द्रीय परिषद् का निगमन ।
7. केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।
8. केन्द्रीय परिषद के अधिवेशन ।
9. (1) समितियां
   (2) कार्यकारिणी समिति ।
10. समितियों के अधिवेशन ।
11. केन्द्रीय परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
12. केन्द्रीय परिषद् और उसकी समितियों में रिक्तियों से कार्यों आदि का अविधिमान्य न होना ।

अध्याय 3

चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता

13. भारत स्थित कतिपय चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता ।
14. भारत के बाहर स्थित राज्यों या देशों की चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता ।
15. द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज किए जाने का अधिकार ।
16. पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति ।
17. परीक्षाओं में निरीक्षक
18. परीक्षाओं में परिदर्शक ।
19. मान्यता का वापस लिया जाना ।
20. होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तर ।

अध्याय 4

होम्योपैथी का केन्द्रीय-रजिस्टर

खण्ड

21. होम्योपैथी का केन्द्रीय रजिस्टर ।

22. होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर की प्रतियों का दिया जाना ।

23. होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण ।

24. वृत्तिक आचरण ।

25. होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर से नामों का हटाया जाना ।

26. होम्योपैथी के केन्द्रीय-रस्जिटर में नामदर्ज व्यक्तियों के विशेषाधिकार ।

27. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण ।

28. होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों द्वारा निवास तथा चिकित्सा-व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन का सूचित किया जाना ।

29. केन्द्रीय परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

30. जांच आयोग ।

31. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण ।

32. नियम बनाने की शक्ति ।

33. विनियम बनाने की शक्ति ।

प्रथम अनुसूची ।

द्वितीय अनुसूची ।

तृतीय अनुसूची ।

1971 का विधेयक सं० 30

[होम्योपैथी सेंट्रल काउन्सिल बिल, 1971 का हिन्दी अनुवाद]

होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1971

[जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के नीचे या पार्श्व में रेखाएं खिचीं हैं वे संयुक्त समिति द्वारा दिए गए सुझाव हैं। जहां तारक चिह्न हैं वहां लोप किया गया है।]

होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य के लिए इस निमित्त नियत करे तथा विभिन्न राज्यों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "बोर्ड" से होम्योपैथी का (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई बोर्ड, परिषद्, परीक्षा-निकाय या संकाय अभिप्रेत है जो किसी राज्य सरकार द्वारा, होम्योपैथी की चिकित्सीय अर्हताएं प्रदान करने और होम्योपैथी के व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण करने का विनियमन करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित किया गया हो;

(ख) "केन्द्रीय परिषद्" से धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "होम्योपैथी का केन्द्रीय-रजिस्टर" से केन्द्रीय परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(घ) "होम्योपैथी" से चिकित्सा की होम्योपैथी पद्धति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जीव-रसायनिक उपचारों का उपयोग भी है ;

(ङ) "चिकित्सीय संस्था" से भारत में या बाहर स्थित ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो होम्योपैथी में उपाधियां, डिप्लोमें या अनुज्ञप्तियां प्रदान करती है ;

(च) "विहित" से विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता" से द्वितीय या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित होम्योपैथी की चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अभिप्रेत है;

(ज) "विनियम" से धारा 33 के अधीन बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है ;

(झ) "होम्योपैथी का राज्य-रजिस्टर" से अभिप्रेत है, ऐसा रजिस्टर या ऐसे रजिस्टर जो किसी राज्य में होम्योपैथी के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखा जाता है या रखे जाते हैं;

(ञ) "विश्वविद्यालय" से भारत में स्थित कोई ऐसा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है जो विधि द्वारा स्थापित किया गया है और जिसमें होम्योपैथी का संकाय है तथा इसके अन्तर्गत भारत में स्थित ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो विधि द्वारा स्थापित किया गया है और जिसमें होम्योपैथी के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण या अनुसंधान की व्यवस्था है ।

(2) इस अधिनियम में जम्मू-कश्मीर राज्य में अप्रवृत्त किसी विधि के प्रति किसी निर्देश का, उस राज्य के सम्बन्ध में, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2

केन्द्रीय परिषद् और उसकी समितियां

केन्द्रीय परिषद् का गठन

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक केन्द्रीय परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक ऐसे राज्य से जिसमें होम्योपैथी का राज्य-रजिस्टर रखा जाता है, पांच से अनधिक उतने सदस्य जितने प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, जो उस रजिस्टर में होम्योपैथी के व्यवसायियों के रूप में नाम दर्ज व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे ;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक-एक सदस्य, जो उस विश्वविद्यालय के होम्योपैथी के (किसी भी नाम से ज्ञात) संकाय या विभाग के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा :

परन्तु जब तक होम्योपैथी का ऐसा कोई संकाय या विभाग कम से कम सात विश्वविद्यालयों में आरम्भ नहीं हो जाता है केन्द्रीय सरकार भारत के भीतर स्थित चिकित्सीय संस्थाओं के शिक्षण कर्मचारीवृन्द में से सात से अनधिक उतने सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगी जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं। किन्तु इस खण्ड के अधीन ऐसे नामनिर्दिष्ट और निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में सात से अधिक नहीं होगी ।

(ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के चालीस प्रतिशत से अनधिक उतने सदस्य जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएं जो होम्योपैथी तथा अन्य संबंधित शिक्षाओं की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों :

परन्तु तब तक के लिए जब तक कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन सदस्यों का निर्वाचन न हो जाए, केन्द्रीय सरकार उतने सदस्य नामनिर्दिष्ट करेगी जितने कि वह ठीक समझे और ये व्यक्ति, यथास्थिति, उक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन चुने जाने के लिये अर्हित व्यक्ति होंगे, तथा इस अधिनियम में निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के प्रति निर्देश भी है ।

(2) केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे जो विहित की जाए :—

परन्तु केन्द्रीय परिषद् के प्रथम गठन से दो वर्ष तक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों में से नामनिर्देशित किए जाएंगे तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, धारा 7 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।

निर्वाचन का ढंग ।

4. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा जो उसके द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं ।

(2) जहां केन्द्रीय परिषद् के लिए किसी निर्वाचन के बारे में कोई विवाद उठे, वहां वह केन्दीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

निर्वाचन और सदस्यता पर निर्बन्धन ।

5. (1) कोई व्यक्ति तब तक केन्द्रीय परिषद् के लिए निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास द्वितीय या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई न हो, वह होम्योपैथी के किसी राज्य-रजिस्टर में नाम दर्ज न हो और सम्बन्धित राज्य में निवास न करता हो ।

(2) कोई व्यक्ति एक सयम में एक से अधिक हैसियत में सदस्य के रूप में काम नहीं करेगा ।

केन्दीय परिषद का निगमन ।

6. केन्द्रीय परिषद् होम्योपैथी की केन्दीय परिषद् के नाम की निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे जंगम और स्थावर सम्पत्ति दोनों का ही अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

केन्दीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

7. (1) केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त या जब तक उसका उत्तराधिकारी सम्यक रूप से निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट न हो जाए तब तक, जो भी अवधि दीर्घतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) जो व्यक्ति केन्दीय परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करता है या जिसने ऐसा पद धारण किया है, वह एक बार किन्तु केवल एक ही बार उस पद पर पुनर्निर्वाचित होने का पात्र होगा ।

(3) केन्दीय परिषद् के सदस्य पुनः निर्वाचन या पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे ।

(4) यदि कोई निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य बिना किसी ऐसे कारण के जो केन्द्रीय परिषद् की राय में पर्याप्त कारण है, केन्द्रीय परिषद् के तीन क्रमवर्ती मामूली अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है अथवा, यदि धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं रह जाता, अथवा यदि उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य सम्बन्धित विश्व-विद्यालय के होम्योपैथी के (किसी भी नाम से ज्ञात) संकाय या विभाग का सदस्य नहीं रह जाता तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(5) केन्दीय परिषद् में की आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस अवधि के अवशिष्ट भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसका स्थान वह ले, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया था ।

(6) जब किसी सदस्य वाली पांच वर्ष की उक्त अवधि अवसित होने को हो तो उक्त अवधि के अवसान के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय एक उत्तराधिकारी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा किन्तु वह तब तक पद ग्रहण न करेगा जब तक कि उक्त अवधि का अवसान न हो जाए ।

केन्द्रीय परिषद के अधिवेशन ।

8. (1) केन्द्रीय परिषद का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय तथा स्थान पर होगा जो केन्द्रीय परिषद द्वारा नियत किया जाए ।

(2) जब तक अन्यथा विहित न किया जाए, गणपूर्ति केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी और केन्द्रीय परिषद् के सब कार्यों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा होगा ।

कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां ।

9. (1) केन्द्रीय परिषद् अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति और अन्य ऐसी समितियों को साधारण या विशेष प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगी जैसी वह परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) (i) कार्यकारिणी समिति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात समिति कहा गया है), अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो पदेन सदस्य होंगे और पांच से अन्यून और सात से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे;

(ii) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समितियों के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे;

(iii) समिति, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों और उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो केन्द्रीय परिषद् द्वारा किन्हीं भी ऐसे विनियमों द्वारा जो इस निमित्त बनाए जाएं, उसे प्रदान की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

समितियों के अधिवेशन ।

10. (1) धारा 9 के अधीन गठित समितियों का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय तथा स्थान पर होगा जो केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियत किया जाए ।

(2) जब तक अन्यथा विहित न किया जाए, गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और समिति के सब कार्यों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा होगा ।

केन्द्रीय परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

11. केन्द्रीय परिषद्—

(क) एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो सचिव के रूप में भी कार्य करेगा; ***

(ख) अन्य ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे;

(ग) रजिस्ट्रार या किसी अन्य कर्मचारी से उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए उतनी प्रतिभूति मांग सकेगी और लेगी जैसी केन्द्रीय परिषद् आवश्यक समझे; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से वे पारिश्रमिक और भत्ते नियत करेगी जो केन्दीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को तथा उसकी समितियों के सदस्यों को दिए जाएंगे और केन्दीय परिषद् के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अवधारित करेगी ।

केन्दीय परिषद् और उसकी समितियों में रिक्तियों से कार्यों आदि का अवधिमान्य न होना ।

12. केन्द्रीय परिषद् या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत न होगी कि, यथास्थिति, केन्द्रीय परिषद् या उस समिति में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।

अध्याय 3

चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता

भारत स्थित कतिपय चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता ।

13. (1) भारत स्थित किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताएं, जो द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं होंगी ।

(2) भारत स्थित कोई विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था, जो ऐसी कोई चिकित्सीय अर्हता प्रदान करती हो जो द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी किसी अर्हता को मान्यताप्राप्त कराने के लिए केन्दीय सरकार से आवेदन कर सकेगी, और केन्दीय सरकार, केन्दीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, द्वितीय अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि ऐसी अर्हता उसमें सम्मिलित हो जाए, और ऐसी कोई अधिसूचना यह निदेश भी दे सकेगी कि द्वितीय अनुसूची के अन्तिम स्तम्भ में ऐसी चिकित्सीय अर्हता के सामने ऐसी प्रविष्टि तब ही की जाएगी जब वह अर्हता विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की जाए ।

भारत के बाहर स्थित राज्यों या देशों की चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता ।

14. (1) भारत के बाहर स्थित उन चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा, जो तृतीय अनुसूची में सम्मिलित हैं, प्रदत्त चिकित्सीय अर्हतायें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हतायें होंगी ।

(2) (क) केन्द्रीय परिषद् भारत के बाहर स्थित किसी राज्य या देश के किसी प्राधिकारी के साथ, जिसे उस राज्य या देश की विधि द्वारा होम्योपैथी के व्यवसायियों का रजिस्टर रखने का कार्य सौंपा गया हो, होम्योपैथी में चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता के लिए पारस्परिक आदान-प्रदान की स्कीम तय करने के लिए बातचीत कर सकेगी तथा ऐसी किसी स्कीम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तृतीय अनुसूची को ऐसे संशोधित कर सकेगी कि उसके अन्तर्गत ऐसी कोई चिकित्सीय अर्हता आ जाए जिसके बारे में केन्द्रीय परिषद् ने यह विनिश्चय किया है कि उसे मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, और ऐसी कोई अधिसूचना यह निदेश भी दे सकेगी कि तृतीय अनुसूची के अंतिम स्तंभ में ऐसी चिकित्सीय अर्हता के सामने एक प्रविष्टि की जाएगी जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की जाय ।

(ख) जहां इस परिषद् ने किसी ऐसी चिकित्सीय अर्हता की सिफारिश करने से इंकार कर दिया हो जिसे खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी

द्वारा मान्यताप्राप्त कराने के लिए प्रस्थापित किया गया हो और उस प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार से इस निमित्त आवेदन किया हो, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी किसी भी इंकारी के कारणों के बारे में परिषद् की रिपोर्ट, यदि कोई हो, अभिप्राप्त करने के पशत् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी अर्हता मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता होगी और खण्ड (क) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

* * * * * *

द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज किए जाने का अधिकार ।

15. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता होम्योपैथी के किसी राज्य-रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाने के लिए पर्याप्त अर्हता होगी ।

(2) होम्योपैथी के ऐसे व्यवसायी से, जो मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखता हो और होम्योपैथी के राज्य–रजिस्टर या केन्द्रीय रजिस्टर में नाम दर्ज हो, भिन्न कोई व्यक्ति,—

(क) सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी संस्था में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में पद या (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा;

(ख) किसी राज्य में होम्योपैथी का व्यवसाय नहीं करेगा;

(ग) चिकित्सीय या योग्यता का प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रमाणपत्र, जो सम्यक् रुप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाने के लिए किसी विधि द्वारा अपेक्षित हो, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित करने का हकदार न होगा;

(घ) किसी मृत्यु-समीक्षा में या किसी न्यायालय में, होम्योपैथी से सम्बन्धित किसी विषय पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन एक विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने का हकदार न होगा ।

1872 का 1

(3) उपधारा (2) की किसी बात का,—

(क) होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज किसी होम्योपैथी के व्यवसायी के किसी राज्य में होम्योपैथी का व्यवसाय करने के अधिकार पर केवल इस आधार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर वह मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता नहीं रखता था ;

(ख) होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज किसी होम्योपैथी के व्यवसायी को किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त होम्योपैथी के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त विशेषाधिकारों पर (जिनके अन्तर्गत होम्योपैथी का व्यवसाय करने का अधिकार भी है) प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) किसी ऐसे राज्य में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ पर होम्योपैथी का राज्य-रजिस्टर नहीं रखा जाता है, होम्योपैथी व्यवसाय करने के किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि ऐसे प्रारम्भ पर वह पांच से अन्यून वर्षों तक होम्योपैथी का व्यवसाय करता रहा हो;

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956, या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 द्वारा या उनके अधीन, ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास उक्त अधिनियमों की अपनी-अपनी अनुसूचियों में सम्मिलित अर्हताओं में से कोई हों, को प्रदत्त अधिकारों प [जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार भी है] प्रभाव नहीं पड़ेगा । 1956 का 102 1970 का 48

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में कार्य करेगा वह कारावास, से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के सम्बंध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति ।

16. भारत में स्थित प्रत्येक विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य चिकित्सीय संस्था, जो मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता प्रदान करती हो, ऐसी अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में जिस पर ऐसे पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना अपेक्षित हो और ऐसी अर्हता प्रदान की जाती हो, तथा सामान्यतया ऐसी अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं के बारे में, ऐसी जानकारी देगी, जिसकी केन्द्रीय परिषद्, समय-समय पर अपेक्षा करे ।

परीक्षाओं में निरीक्षक ।

17. (1) केन्द्रीय परिषद्, किसी चिकित्सीय महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था के, जहां होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती हो, निरीक्षण के लिए, या किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उस विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने के प्रयोजन से उपस्थित होने के लिए, उतने चिकित्सीय निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे ।

(2) चिकित्सीय निरीक्षक किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे किन्तु शिक्षा के स्तरों की, जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द, उपस्कर वाससुविधा, प्रशिक्षण और, यथास्थिति, होम्योपैथी की शिक्षा देने के लिए विहित अन्य सुविधाएं भी हैं, पर्याप्तता पर, अथवा प्रत्येक परीक्षा की जिसमें वे उपस्थित रहें, पर्याप्तता पर, केन्द्रीय परिषद् को रिपोर्ट देंगे ।

(3) केन्द्रीय परिषद् किसी ऐसी रिपोर्ट की प्रति संबंधित विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था को भेजेगी और उस पर उस विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था के टिप्पणों सहित एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजेगी ।

परीक्षाओं में परिदर्शक ।

18. (1) केन्द्रीय परिषद् किसी चिकित्सीय महाविद्यालय, अस्पताल या अन्य संस्था के, जहां होम्योपैथी की शिक्षा दी जाती हो, निरीक्षण के लिए अथवा मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता प्रदान करने की बाबत किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उतने परिदर्शक कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे ।

(2) कोई व्यक्ति, चाहे वह केन्द्रीय परिषद् का सदस्य हो अथवा न हो, इस धारा के अधीन परिदर्शक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी निरीक्षण या परीक्षा के लिए धारा 17 के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया हो, उसे निरीक्षण या परीक्षा के लिए परिदर्शक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(3) परिदर्शक किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किन्तु शिक्षा के स्तरों की, जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वास-

सुविधा, प्रशिक्षण तथा होम्योपैथी की शिक्षा देने के लिए विहित अन्य सुविधाएं भी हैं, पर्याप्तता पर, अथवा प्रत्येक परीक्षा की जिसमें वे उपस्थित रहें, पर्याप्तता पर केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे ।

(4) परिदर्शक की रिपोर्ट, तब के सिवाय जब कि किसी विशिष्ट मामले में केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, गोपनीय मानी जाएगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार परिदर्शक की रिपोर्ट की अपेक्षा करे तो केन्द्रीय परिषद् उसे प्रस्तुत करेगी ।

मान्यता का वापस लिया जाना ।

19. (1) जब निरीक्षक या परिदर्शक की रिपोर्ट पर केन्द्रीय परिषद को यह प्रतीत हो कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यार्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, अथवा

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था में या इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृन्द, उपस्कर वास-सुविधा, प्रशिक्षण, तथा शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं,

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं हैं तब केन्द्रीय परिषद् उस आशय का अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को करेगी ।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार उसे उस राज्य की सरकार को भेज सकेगी जिसमें वह विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था स्थित है और वह राज्य सपकार उसे ऐसे टिप्पणों सहित, जैसे कि वह करना चाहे, उस विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था को, उस अवधि की प्रज्ञापना सहित जिसके भितर वह विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था राज्य सरकार को अपना स्पष्टीकरण दे सकेगी, भेजेगी ।

(3) स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर, अथवा, जहां नियत अवधी के भीतर कोई स्पष्टीकरण न दिया जाए वहां उस अवधि के अवसान पर, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से अपनी सिफारिशें करेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि द्वितीय अनुसूची में उक्त चिकित्सीय अर्हता के सामने ऐसी प्रविष्टि की जाए जो यह घोषित करे कि, यथास्थिति, वह अर्हता मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्रदान की जाए, अथवा यह कि, यथास्थिति, यदि उक्त चिकित्सीय अर्हता किसी विश्वविद्यालय, से सम्बद्ध विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों को प्रदान की जाए, तो वह अर्हता मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्रदान की जाए, या यह कि किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विनिर्दिष्ट महाविद्यालय या संस्था के सम्बन्ध में उक्त चिकित्सीय अर्हता मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता तब ही होगी जब वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की जाए

होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तर।

20. (1) केन्द्रीय परिषद होम्योपैथी चिकित्सा में शिक्षा के ऐसे न्यूनतम स्तर विहित कर सकेगी जो भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, बोर्डों या चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित हों।

(2) विनियमों के प्रारूपों और उनके सभी पश्चात्वर्ती संशोधनों की प्रतियां केन्द्रीय परिषद् द्वारा सभी राज्य सरकारों को दी जाएंगी और केन्द्रीय परिषद्, यथास्थिति, विनियमों या उनके किसी संशोधन को केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजने के पूर्व, किसी राज्य सरकार की उन टीका-टिप्पणियों पर विचार करेगी जो पूर्वोक्त प्रतियां दिए जाने से तीन मास के भीतर प्राप्त हों।

अध्याय 4

होम्योपैथी का केन्द्रीय-रजिस्टर

होम्योपैथी का केन्द्रीय-रजिस्टर।

21. (1) केन्द्रीय परिषद् होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायियों का एक रजिस्टर विहित रीति से रखवाएगी जो होम्योपैथी का केन्द्रीय-रजिस्टर कहलाएगा और जिसमें,—

(क) भाग 1 में, उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके नाम तत्समय होम्योपैथी के किसी राज्य-रजिस्टर में दर्ज हों और जिनके पास मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी हो;

(ख) भाग 2 में, भाग 1 में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके नाम तत्समय होम्योपैथी के किसी राज्य रजिस्टर में दर्ज हों।

(2) केन्द्रीय परिषद् के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के और केन्द्रीय परिषद् द्वारा किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, और अन्य ऐसी रीति से जो विहित की जाए, होम्योपैथी का केन्द्रीय-रजिस्टर रखे और बनाए रखे और समय-समय पर रजिस्टर का पुनरीक्षण करे और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करे।

(3) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा, और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर की प्रतियों का दिया जाना।

1872 का 1

22. प्रत्येक बोर्ड इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् को होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर की तीन मुद्रित प्रतियां देगा, तथा प्रत्येक बोर्ड होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में समय-समय पर किए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की इत्तिला केन्द्रीय परिषद को अविलम्ब देगा।

होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण।

23. केन्द्रीय परिषद का रजिस्ट्रार होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट की प्राप्ति पर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा, विहित रीति से, किए गए आवेदन पर, उसका नाम होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन पात्र है।

वृत्तिक आचरण ।

24. (1) केन्द्रीय परिषद, होम्योपैथी व्यवसायियों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार के स्तर और आचार संहिता विहित कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम यह विनिर्दिष्ट कर सकेंगे कि उनका कौनसा अतिक्रमण वृत्ति के सम्बन्ध में गर्हित आचरण, अर्थात वृत्तिक अवचार है, और ऐसा उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा ।

होम्योपैथी के केंद्रीय-रजिस्टर से नामों का हटाया जाना ।

25. (1) यदि होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज किसी व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर में से, किसी राज्य में होम्योपैथी के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में, हटा दिया जाए तो केन्द्रीय परिषद होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का निदेश देगी ।

(2) जहां होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम उसके पास अपेक्षित चिकित्सीय अर्हताएं न होने के कारण से भिन्न किसी कारण से हटा दिया जाए अथवा जहां उसका नाम होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किए जाने के लिए उक्त व्यक्ति का आवेदन नामंजूर कर दिया जाए वहां वह, विहित रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए विहित की जाएं, और जिनके अन्तर्गत फीस के संदाय की शर्त भी है, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय, जो केन्द्रीय परिषद से परामर्श करने के पश्चात किया जाएगा, राज्य सरकार तथा होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर की तैयारी से संबंधित प्राधिकारियों पर बाध्यकर होगा ।

होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों के विशेषाधिकार ।

26. (1) मान्यता-प्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा होम्योपैथी का व्यवसाय करने के सम्बन्ध में इस अधिनियम में दी गई शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर के भाग 1 में तत्समय हो, अपनी अर्हताओं के अनुसार, भारत के किसी भी भाग में होम्योपैथी का व्यवसाय करने का तथा ऐसे व्यवसाय की बाबत कोई व्यय, औषधियों या अन्य साधित्रों की बाबत प्रभार या कोई फीस, जिनका वह हकदार हो, विधि सम्यक अनुक्रम में वसूल करने का हकदार होगा ।

(2) धारा 15 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जिसका नाम होम्योपैथी के केन्द्रीय–रजिस्टर के भाग 2 में तत्समय हो, उस राज्य से जिसमें उसका नाम होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में दर्ज हो, भिन्न किसी राज्य में, जहां होम्योपैथी का व्यवसाय करने का उसका आशय हो उस राज्य की सरकार के पूर्व अनुमोदन से होम्योपैथी का व्यवसाय कर सकेगा ।

अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण ।

27. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में दर्ज हो, होम्योपैथी में प्रवीणता के लिए कोई ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता अभिप्राप्त कर ले जो मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता हो तो वह, विहित रीति से इस निमित्त किए गए आवेदन द्वारा, इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी अन्य उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अर्हता कथित करने वाली प्रविष्टि होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में अपने नाम के सामने में या तो पूर्वतर की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त करा ले ।

(2) होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत प्रविष्टियां होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित की जायेंगी ।

होम्योपैथी के केन्द्रीय–रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों द्वारा निवास तथा चिकित्सा-व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन का सूचित किया जाना ।

28. होम्योपैथी के केन्द्रीय-रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति अपने निवास तथा चिकित्सा-व्यवसाय के स्थान पर की तबदीली केन्द्रीय परिषद् को और संबंधित बोर्ड को, ऐसी तब्दीली के नब्बे दिन के भीतर, सूचित करेगा और ऐसा करने में असफल होने पर केन्द्रीय परिषद् या बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेने का उसका अधिकार केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा, या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, समपहृत किया जा सकेगा ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

29. (1) केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, अपने कार्य-वृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने लेखाओं की संक्षिप्तियां और अन्य जानकारी देगी जिनकी वह सरकार अपेक्षा करे ।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस धारा या धारा 18 के अधीन उसे दी गई कोई रिपोर्ट, प्रतिलिपि, संक्षिप्ति या अन्य जानकारी ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे ।

जांच आयोग

30. (1) जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह आभास कराया जाए कि केन्द्रीय परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अनुपालन नहीं कर रही है तब केन्द्रीय सरकार उस शिकायत की विशिष्टयां एक जांच आयोग को निर्देशित कर सकेगी । ऐसे आयोग में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जिनमें से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, तथा तीसरा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा, और ऐसा आयोग परिवाद में आरोपित बातों की सत्यता के बारे में संक्षिप्त रीति से जांच करने के लिए, तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देने के लिए अग्रसर होगा और यदि आयोग द्वारा यह पाया जाए कि व्यक्तिक्रम या अनुचित कार्रवाई का कोई आरोप सिद्ध कर दिया गया है तो आयोग उन उपचारों की, यदि कोई हों, सिफारिश करेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों ।

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय परिषद् से अपेक्षा कर सकेगी कि वह इस प्रकार सिफारिश किए गए उपचारों को ऐसे समय के भीतर अपनाए जो आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वह ठीक समझे और यदि केन्द्रीय परिषद् ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार आयोग की सिफारिशों को प्रभावित करने के लिए केन्द्रीय परिषद् के विनियमों में संशोधन कर सकेगी, या ऐसा उपबन्ध या आदेश कर सकेगी या ऐसा अन्य कदम उठा सकेगी जो आवश्यक प्रतीत हो ।

(3) जांच आयोग, शपथ दिलाने, साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों को पेश कराने की शक्ति होगी तथा अपने द्वारा की जाने वाली जांच के प्रयोजन के लिए सब अन्य ऐसी आवश्यक शक्तियां होंगी जैसी कि सिविल न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रयुक्त की जाती है ।

1908 का 5

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण ।

31. कोई भी वाद, अभियोजन का अन्य विधिक कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या कि जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, सरकार, केन्द्रीय परिषद् या बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा सरकार या केन्द्रीय परिषद् या पूर्वोक्त बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

32. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

"(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक ठीक बाद के सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए । तो तपश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

विनियम बनाने की शक्ति ।

33. (1) केन्द्रीय परिषद्, साधारणतौर पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से बना सकेगी और, ऐसे विनियम, इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे :—

(क) केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के निर्वाचन की रीति;

(ख) केन्द्रीय परिषद् की सम्पत्ति का प्रबंध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और संपरीक्षा;

(ग) केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र;

(घ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) केन्द्रीय परिषद् और उसकी समितियों के अधिवेशन बुलाना और संयोजित करना, वे समय जब और वे स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किए जाने हैं, अधिवेशन में कार्य संचालन और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य-संख्या ;

(च) धारा 9 के अधीन गठित समितियों के कृत्य ;

(छ) रजिस्ट्रार की तथा केन्द्रीय परिषद् के अन्य अधिकारियों और सेवकों की पदावधि तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

(ज) निरीक्षकों और परिदर्शकों की अर्हतायें नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(झ) किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था में मान्यता-प्राप्त चिकित्सीय अर्हता प्रदान करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले और व्यावहारिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम और अध्ययन-अवधि, परीक्षा के विषय और उनमें अभिप्राप्त की जाने वाली प्रवीणता के स्तर;

(ञ) होम्योपैथी की शिक्षा के लिए कर्मचारिवृन्द उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के स्तर;

(ट) वृत्तिक परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों, की अर्हतायें तथा ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें ;

(ठ) होम्योपैथी के व्यवसायियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले वृतिक आचरण और शष्टिाचार के स्तर तथा आचार-संहिता;

(ड) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों में कथित की जाने वाली विशिष्टयां और उनमें दिया जाने वाला अर्हताओं का सबूत ;

(ढ) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन अपील धारा 25 के अन्तर्गत की जा सकेगी ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन आवेदनों तथा अपीलों पर दी जाने वाली फीसें; तथा

(त) कोई विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जा सकता है ।

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (1) (क) देखिए]

केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद् में प्रत्येक राज्य को आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित आधार पर करेगी, अर्थात् :—

(क) जहां होम्योपैथी पद्धति के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक हो किन्तु 10,000 से अधिक न हो	1 स्थान
(ख) जहां होम्योपैथी पद्धति के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों की संख्या 10,000 से अधिक हो किन्तु 20,000 से अधिक न हो	2 स्थान
(ग) जहां होम्योपैथी पद्धति के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों की संख्या 20,000 से अधिक हो किन्तु 30,000 से अधिक न हो	3 स्थान
(घ) जहां होम्योपैथी पद्धति के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों की संख्या 30,000 से अधिक हो किन्तु 40,000 से अधिक न हो	4 स्थान
(ङ) जहां होम्योपैथी पद्धति के राज्य-रजिस्टर में नामदर्ज व्यक्तियों की संख्या 40,000 से अधिक हो ।	5 स्थान ।

2. केन्द्रीय परिषद् के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्वाचन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद् में आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या ऊपर पैरा 1 में दिए गए आधार पर अवधारित करेगी ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 13 देखिये)

भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, बोर्डों या चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त अर्हताएं

विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था का नाम	मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षिप्ताक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
आन्ध्र बोर्ड्स फार आयुर्वेद एण्ड होम्योपैथी ।			
1. आन्ध्र प्राविन्शियल मैडिकल कालेज, गुडीवाड़ा ।	डिप्लोमा इन होम्योपैथी मैडिसन ।	डी० एच० एम०	अप्रैल, 1949 से मार्च, 1969 तक
2. डा० गुरूराजू गवर्नमेंट होम्योपैथिक मैडिकल चालेज, गुडीवाड़ा ।	डिप्लोमा इन होम्योपैथी मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एच०एम०एस०	अप्रैल, 1970 से
3. बोर्ड आफ इण्डियन मैडिसन, हैदराबाद ।	डिप्लोमा इन होम्योपैथी मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एच० एम० एस०	अक्तूबर, 1971 से ।
बिहार			
4. बिहार स्टेट बोर्ड आफ होम्योपैथिक मैडिसन ।	डिप्लोमा इन मैडिसन एण्ड सर्जरी	डी० एम० एस०	1961 से
	डिप्लोमा इन होम्योपैथी मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एच० एम० एस०	1971 से
दिल्ली			
5. बोर्ड आफ होम्योपैथीक सिस्टम आफ मैडिसन, दिल्ली ।	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक साइन्स ।	डी० एच० एम०	1965 से 1970–71 तक
	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एच० एम० एस०	1971 से
केरल			
6. बोर्ड आफ एग्जामिनर्स इन होम्योपैथी, गवर्नमेंट आफ केरल	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मैडिसन	डी० एच० एम०	1962 से
7. रायल कालेज आफ होम्योपैथिक फिजिशन्स, एरनाकुलम ।	लाइसेन्सिएट इन रायल कालेज आफ होम्योपैथिक फिजिशन्स ।	एल० आर० सी० एच०पी०	1966–67 तक
मध्य प्रदेश			
8. बोर्ड आफ होम्योपैथिक एण्ड बायोकैमिक सिस्टम् आफ मैडिसन, मध्य प्रदेश ।	डिप्लोमा इन होम्योपैथी एण्ड बायोकैमिस्ट्री ।	डी० एच० बी०	1960 से

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
9. बोर्ड आफ एग्जामिनर्स आफ होम्योपैथिक एण्ड बायोकैमिक सिस्टम्स आफ मैडिसन, मुम्बई ।	लाइसेन्सिएट आफ्द दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स एन होम्योपैथी ।	एल० सी० ई० एच०	दिसम्बर, 1961 से
	डिप्लोमा इन होम्योपैथी एण्ड बायोकैमिस्ट्री ।	डी० एच० बी०	अक्तूबर, 1955 से
10. कोर्ट आफ ऐग्जामिनर्स इन होम्योपैथी ।	फैलो आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होम्योपैथी ।	एफ० सी० ई० एच०	केवल मई, 1958 में
उड़ीसा			
11. उड़ीसा बोर्ड आफ होम्योपैथिक मैडिसन, भुवनेश्वर ।	डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एच० एम० एस०	1973 से
उत्तर प्रदेश			
12. स्टेट बोर्ड आफ होम्योपैथिक मैडिसन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	ग्रेजेएट आफ होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	जी० एच० एम० एस०	1961 से 1963 तक
	बैचलर आफ मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	बी० एम० एस०	1958 से 1960 तक और 1970 से
	सर्टिफिकेट आफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस ।	सी० एच० पी०	—
13. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।	ग्रेजुएट आफ होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	जी० एच०एम०एस०	1965 से 1967 तक
14. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।	ग्रैजुएट आफ होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	जी० एच० एम० एस०	1967 से
15. नेशनल होम्योपैथिक मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ ।		एच०एल०एम०एस०	1923 से 1936 तक
		एच० एम० डी०	1925 से 1942 तक
		एच० एम० बी०	1924 से 1949 तक
		बी० एम० एस०	1950 से 1957 तक
16. होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, लखनऊ ।		एच० एम० बी०	1931 से 1936 तक
पश्चिमी बंगाल			
17. काउन्सिल आफ होम्योपैथिक मैडिसन, पश्चिमी बंगाल ।	डिप्लोमा एन मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एम० एस०	1965 से

1	2	3	4
18 जनरल काउंसिल एण्ड स्टेट फैकल्टी आफ होम्योपैथिक मेडिसन, पश्चिमी बंगाल ।	डिप्लोमा इन मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	डी० एम० एस०	1943 से 1964 तक ।
19. कलकत्ता होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	बैचलर आफ होम्योपैथिक मैडिसन ।	एच० एम० बी०	1936 तक
	बैचलर आफ मैडिसन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी ।	बी० एम० बी० एस०	1936 से 1942 तक
20. बंगाल एलेन होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	बैचलर आफ होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	बी० एच० एम० एस०	1942 तक
	मास्टर आफ होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	एम० एच० एम० एस०	1942 तक
	लाइसेन्सिएट इन होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	एल०एच०एम० एस०	1942 तक
21. डन्हैम होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	मेम्बर आफ डन्हैम कालेज आफ होम्योपैथी ।	एम० डी० सी०एच०	1942 तक
22. आशुतोष होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	प्रैक्टिशनर आफ रैशनल सिस्टम आफ मैडिसन ।	पी० आर०एस० एम०	1942 तक
	प्रैक्टिसनर आफ हीलिंग आर्ट ।	पी० एच० ए०	1942 तक
23. हैरिंग होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	लाइसेन्सिएट आफ दि रैशनल् होम्योपैथिक सोसाइटी ।	एल० आर० एच० एस०	1942 तक
24. रैग्यूलर होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	लाइसेन्सिएट इन होम्योपैथिक मैडिसन एण्ड सर्जरी ।	एच० एल०एम० एस०	1942 तक
25. सेन्ट्रल होम्योपैथिक कालेज, कलकत्ता ।	—	एच० एल० एम० एस०	1910
		एच० एम० बी०	1910
26. बंगाल होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, कलकत्ता ।	बैचलर आफ होम्योपैथिक मैडिसन ।	एच० एम० बी०	1942 तक

तृतीय अनुसूची

(धारा 114 देखिये)

भारत के बाहर स्थित चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताएं

विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था	मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता	रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षिप्ताक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4
1. फैकल्टी आफ होम्योपैथी, लंदन ।	डिप्लोमा आफ दि फैकल्टी आफ होम्योपैथी ।	डी० एफ० होम०	—
2. फैकल्टी आफ होम्योपैथी, लंदन ।	मेम्बर आफ दि फैकल्टी आफ होम्योपैथी ।	एम० एफ० होम०	—
3. फैकल्टी आफ होम्योपैथी, लंदन ।	फैलो आफ दि फैकल्टी आफ होम्योपैथी ।	एफ० एफ० होम०	—

बी० एन० बनर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973